राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवीं बैठक, दिनांक २७ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बजकर ५७ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष:-We constitute the quorum, I think.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--Mr. Speaker, Sir, under Article 189 (3) of the Constitution of India, the quorum of this House should be minimum of 16 Members and we do constitute the quorum.

श्री अध्यक्ष:-More than that.

तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं० १३७

श्री अवनिकुमार: -Will the **Chief Minister** be pleased to state:—

(*i*) How many Non-Rajasthani Officers are in the employment of the Government at present and what are the total emoluments paid to them ?

(*ii*) Will the Government lay on the table of the House a list of such officials and their respective emoluments ?

उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-१. यदि गैर राजस्थानी से तात्पर्य उन व्यक्तियों का समझा जावे कि जो मुलाजमत से पहले कभी भी राजस्थान के किसी भाग में नहीं रहे हों तो इस प्रकार के गैर राजस्थानी अफसरों की संख्या २६ है। इस संख्या में वे व्यक्ति शामिल नहीं है जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाले राज्यों की मुलाजमत करते हुए राजस्थान को प्राप्त हुए हैं अथवा पाकिस्तान से आये हुए वे प्रामाणिक शरणार्थी है कि जिन्होंने राजस्थान में निवास ग्रहण कर लिया हो।

इन अधिकारियों के मासिक वेतन का खर्च ९७६९) रु० होता है और इन २६ व्यक्तियों में निम्न श्रेणी के अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं।

Page No.2

(क) २० अधिकारी जो भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों से आये हुये हैं। ये अधिकारी राजस्थान सरकार की अस्थायी सेवा में ठीक उसी तरह हैं जिस प्रकार राजस्थान के कुछ सरकारी कर्मचारी भारत सरकार की सेवा में हैं।

(ख) ३५ गैर राजस्थानी अधिकारी जो कि केन्द्रीय सरकार की दो सेवाओं अर्थात् आइ.ए.एस. और आई.पी.एस. के ख भाग के राज्यों में, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, विस्तृत होने के फल स्वरूप इन सेवाओं के लिए चुन लिए गये हैं।

(ग) १४ अधिकारी जिनकी सेवायें थोड़े काल के लिए किसी निश्चित मुआहिदा के अनुसार प्राप्त की गई हैं। इनका मासिक वेतन खर्च १२३००) होता है। उपरोक्त २६ अधिकारियों में से कई अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई थी। इस सम्बन्ध में पी.एस.सी. ने सब भारतीय नागरिकों से प्रार्थना पत्र मांगे थे, क्योंकि राजस्थान सेवा के लिए उस समय निवास स्थान सम्बन्धी कोई रुकावट नियमित न थी।

२. शरणार्थी वर्ग में से लिये गये अधिकारियों की संख्या १७ है और उनका मासिक वेतन व्यय ४७५०) रु० है।

३. ६८ गैर राजस्थान स्थाई कर्मचारी राजस्थान में सम्मिलित होने वाली इकाइयों से दाय रूप में लिये गये हैं। इनका मासिक वेतन खर्च ३७८३५) रु० है।

४. इन सब अधिकारियों के नाम बतलाना जनहित के अनुकूल नहीं है।

प्रश्न सं० १३८

श्री अवनिकुमार:--Will the **Labour Minister** be pleased to state:—

(*i*) What are the terms of the agreement arrived at between the employers and employees of the Maharaja Kishangarh Mills?

श्री भोलानाथ:--लेबर मिनिस्टर साहब, कुछ मजदूरों ने विधान सभा के दरवाजे पर धरना दिया हुआ है उनसे बातचीत के सिलसिले में रुके हुए हैं। इसका जवाब यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो टेबल पर रख दिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट में देखिये)

प्रश्न संख्या १३९ से १५३ तक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सभा भवन में पूछे नहीं गये।

(कृपया परिशिष्ट में देखिये)

प्रश्न संख्या १५४

श्री दुर्लभसिंह:–Will the **Minister for Rehabilitation** be pleased to state:—

(*a*) Is it a fact that Muslims and Meos who have been resettled in Alwar and Bharatpur Districts of Rajasthan do not enjoy propriety rights on land and houses restored to them ?

(*b*) The number of Muslims and Meos who are residing but whose lands and houses have not been restored as yet in the Districts of Alwar and Bharatpur of Rajasthan may be stated Tehsilwise.

(*c*) What action does the Government propose to restore the lands and homes of displaced Muslims mentioned in part (*b*) ?

श्री अमृतलाल यादव:–(a) Yes. The question will be decided by the Central Government which is at present actively examining it. The matter has been delayed, as no agreement has yet been arrived between India and Pakistan on the subject of evacuee property.

(b) There were 20,000 Meos who refused to accept alternate holdings and insisted on getting original ones only. About 3,000 Meos of Govindgarh and Nagar have already been re-settled. The rest are living in Tehsils Kaman, Parahi, Deeg and Lachhmangarh. A Special Officer is at present engaged in retrieving lands from locals and displaced persons and re-settling Meos upon them.

Muslims other than Meos can be restored lands provided they apply under Section 16 of the Evacuee Property Administration Act, 1950.

श्री दुर्लभसिंह:-जिन तहसीलों में इनकी आबादी है उनकी तहसीलवार लिस्ट नहीं बताई गई है; किस तहसील में कितने मेव बसाये गये हैं और कितने बसाने बाकी हैं?

श्री अमृतलाल यादव:-मैंने तहसीलवार ही लिस्ट बताई है ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:-अलवर और भरतपुर के अलावा भी दूसरी तहसीलें हैं, उनका जिक्र नहीं किया गया है और न नंबर तहसीलवार बताये गये हैं।

श्री अमृतलाल यादवः--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद इब्राहिमः--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर हिन्दुस्तानी में नहीं दिया गया ।

श्री अमृतलाल यादवः--प्रश्न अंग्रेजी में था; इसलिये उत्तर भी अंग्रेजी ही में दिया गया है।

श्री दुर्लभसिंहः--मेरे सवाल के बी पार्ट में साफ लिखा हुआ हैः--

(b) The number of Muslims and Meos who are residing but whose lands and houses have not been restored as yet in the Districts of Alwar and Bharatpur of Rajasthan may be stated *Tehsilwise.*

तहसीलवार मैंने लिस्ट चाही है वह जवाब में शामिल नहीं की गई है।

श्री अमृतलाल यादवः--मैंने तहसीलवार ही जवाब दिया है। डिस्ट्रिक्ट अलवर और भरतपुर का मैंने अर्ज किया था। जिन तहसीलों में इनकी आबादी है उनका उल्लेख जबाब में कर दिया गया है। बाकी तहसीलों में और जिलों में जिनमें इनकी आबादी उल्लेखनीय नहीं है उनका जिक्र नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद इब्राहीमः--भरतपुर और अलवर जिलों के अलावा रामगढ़, लक्ष्मनगढ़ आदि सब तहसीलों में जहां मुसलमानों की संख्या काफी है उनमें मेवों के अलावा दूसरे मुसलमानों को बसाने का क्या तरीका है?

श्री अमृतलाल यादवः--इस प्रश्न का इससे संबन्ध नहीं है।

श्री दुर्लभसिंहः--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मुकम्मिल उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्षः--ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५५

श्री सोहनलाल भटनागरः--Will the **Revenue Minister** be pleased to reply:—

What were the conditions on which Bhat Farm was given on lease by the Mewar Government to the 'Mewar Sugar Company Ltd., Bhopal Sagar'?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--यह जमीन मेवाड़ रियासत के वक्त दी गई थी। कमिश्नर उदयपुर को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा गया है कि किन किन शर्तों पर दी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर हाउस की टेबल पर रख दी जायगी।

श्री मोतीचन्द खजान्चीः–मैं कुछ देरी से आया हूं इसलिये मेरे प्रश्नों को पूछने की मुझे आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्षः– ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री अध्यक्षः–सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अर्जुनसिंह ने दिनांक २१ अक्टूबर से १५ नवम्बर, १९५२ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है । क्या सदस्यों की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जावे ।

(श्री अर्जुनसिंह को अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाती है)

श्री अध्यक्षः–मेरे पास आज दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं, एक ही विषय को लेकर । एक श्री हरिदेव जोशी का है और दूसरा है श्री हरिकिशन व्यास का । इनमें इन्होंने किशनगढ़ मिल में हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थिति पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्थना की है ।

नियमोपनियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मुझे दिया जाय उसकी प्रतिलिपि सेक्रेटरी, मिनिस्टर कन्सर्न और अध्यक्ष के पास भी आनी चाहिये । मुझे ज्ञात हुआ है कि सम्बन्धित मंत्री के पास वे प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं, रूल्स की पूरी कम्प्लायेन्स नहीं की गई है ।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव कोई अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का होना चाहिये । पब्लिक इम्पोर्टेन्स होना ही काफी नहीं है, अरजेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स होना चाहिये । इन दोनों तरीकों से इन प्रश्नों पर वादविवाद करने का मौका प्राप्त हो सकता है; अन्यथा नहीं । तो इस हालत में आज्ञा प्रदान नहीं की जासकती । मैं समझता हूं कि हमारे सामने सप्लीमेन्टरी बजट का प्रश्न है उसमें ऐसे सारे प्रश्न डिसकस किये जा सकते ह । म इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं समझता हूं; इसलिये इनको रूल आउट करता हूं ।

(विराम)

पूरक अनुदानों के लिए मांगें ।

The motion is

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 52,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of grant No. XL, Major Head 25-General Administration-D-Secretariat and Head Quarters Establishment."

श्री हरिकृष्ण व्यासः—Mr. Speaker, Sir. On a point of order, Sir, who is to move these demands ?

श्री अध्यक्ष:– All these motions are moved from the chair. Yes, you have got a cut motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास:–माननीय अध्यक्ष ! जो अनुमति का प्रस्ताव हमारे सामने आया है एक पूरक निधि मन्जूर करने का, उसके बारे में मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं:–

"That the demand for supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 52,000/- in respect of General Administration-D-Secretariat and Head Quarters Establishment—be reduced by Re. 1/-."

यह मेरा प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव में इसलिए रखना चाहता हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने, विशेष कर राज्य के मुलाजिमों के बारे में जो नीति अपनाई है, उन्होंने सरकारी मुलाजिमों के बारे में जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया है, वह न सिर्फ गैर वाजिब है; बल्कि उससे बहुत ही जबरदस्त असन्तोष की भावना लोगों में फैलती जा रही है और मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा यह व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस विभाग ने और ज्यादा मन्जूरी की मांग पेश की है उस विभाग ने अब तक मन्जूर शुदा पैसे का खर्च ऐसे ढंग से नहीं किया है, इस तरह से नहीं किया है कि वह और मन्जूरी के लिए हमारे सामने आवे ।

माननीय अध्यक्ष, यह बात छिपी नहीं है कि गत १५ दिन से सचिवालय के मुलाजिमों में तीव्र असन्तोष उमड़ पड़ रहा है और उसका कारण यह है कि जो इन्टीग्रेशन का तरीका अपनाया गया है, उनमें से अधिक मुलाजिम जिन्होंने सालों से सरकार की मुलाजमत की थी, जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी थी; इसमें उन्हें ऊपर से नीचे कर दिया गया, जिस काम को वे करते आये हैं, उससे एकदम नीचे दर्जे में फिट कर दिया गया । ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें कई सज्जन जो एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी का काम करते आये थे, जो ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्टस का काम करते आये थे, और पिछले वर्षों से, पिछले सालों से जो लगातार उसी ओहदे पर काम करते आये हैं उन्हें अचानक इन्टीग्रेशन के नाम पर मामूली जूनियर क्लर्क के स्थान पर फिट कर दिया गया है । इस कार्य का नतीजा कितना गम्भीर होगा वह तो हमारे सामने ही है । एक व्यक्ति की, जिनका अभी जिक्र किया था कुछ दिनों पहले, हार्टफेल होने से, हृदय की गति बन्द होने से मृत्यु हो गई । कौन कह सकता है कि जो फैसला, इतने साल काम करने के बाद जिस विभाग के अधिकारियों ने दिया था, उनकी हृदय गति बन्द होने में इसी कारण ने कितना हिस्सा अदा किया होगा । एक दूसरे सज्जन हैं, जिनके दिमाग पर इस इन्टीग्रेशन से जो असर पड़ा है उससे वे सोचने और समझने की शक्ति खो बैठे हैं । और यह तब हो रहा है जबकि दूसरी ओर सरकार ने कोई सिद्धान्त अमल में नहीं लिया है । मैंने जानकारी की है अध्यक्ष महोदय ! और मैंने प्रयत्न किया है जानने का अध्यक्ष महोदय ! और मुझे मालूम हुआ है कि यह सारा का सारा फैसला दो तीन मिनिट

के इन्टरव्यू पर किया गया है। दो तीन मिनिट में प्रश्न पूछे गये और उसके आधार पर एक व्यक्ति ने अपनी समझ के अनुसार फैसला कर डाला। जो तारीखें नियत की गई थीं कि अमुक अमुक तारीखों पर मौका दिया जावेगा, अमुक अमुक तारीखों पर पेश होने के लिए, सिलेक्शन के लिए मौका मिलेगा; वे तारीखें बदल दी गईं। कई मिसालें हैं और उनमें से एक मिसाल यह है कि एक सदस्य जो बीकानेर के हैं और जो स्टेनों थे जिन्हें एक ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट काम सिखाते थे, उनके काम की देख-रेख करते थे, तीन साल के अर्से में इन्टीग्रेशन ने इस प्रकार का मौका दिया, जो गैर जिम्मेदारी पूर्ण है, शायद यह कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि जो सज्जन स्टेनों थे उन्हें उच्चाधिकारी बना दिया गया, वे एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी बन गये और जो ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट थे और जिन्होंने उन्हें काम सिखाया था वे इन तीन साल के अन्दर उच्चाधिकारी नहीं बल्कि, नीचे दर्जे के मामूली मुलाजिम बन गये। मामूली से मामूली, सामान्य से सामान्य आदमी ऊंची सत्ता पर पहुंच गया और ऊंचे से ऊंचा अधिकारी मामूली मुलाजिम बन गया है। यह हाल है सचिवालय के इन्टीग्रेशन का।

अध्यक्ष महोदय! यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों में किस हद दर्जे की गैर जिम्मेदारी हुई है या जो परिस्थितियां हुई हैं उन्हें समझ में आने लायक नहीं कहा जा सकता है। कुछ सज्जन थे, जिन्होंने नौकरी में कदम रखा था, उनका रेकर्ड बना था, जिसमें लिखा गया था कि वे नोन-मेट्रिक्युलेट हैं। चार साल बाद नयी स्कीम बनती ह, नया इन्टीग्रेशन का ढांचा बनता है, बिना इम्तिहान में बैठे हुए ही वे बी० ए० हो जाते हैं। नोन-मेट्रिक्युलेट से बी० ए० हो जाते हैं और करीब तीन केसेज ऐसे हैं, जिसमें ये गलत एन्ट्रीज पाई गई हैं; पर उनको कोई सजा नहीं दी गई।

मैं इस बात को और भी स्पष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां एक ओर सरकार ने, गवर्नमेन्ट ने, उनके मुलाजिमों के न किसी सिद्धान्त पर हकों को मारा, उन्हें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे किया गया, वहां दूसरी ओर सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि खर्चा कम करने के लिए किया गया है। यह कहा जाता है कि जहां सचिवालय पर मध्य प्रदेश सरकार १५ लाख रुपया वार्षिक खर्च करती है; वहां हम, २५ लाख रुपया सालाना खर्च करते हैं। खर्चे के बारे में जो दलीलें दी जाती हैं मैं उन्हें गलत मानता हूं। यदि खर्चे की दलील दी जाती है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सामान्य मुलाजिमों के अलावा अथवा उन पर कितना खर्चा होता है और उच्चाधिकारियों के लिए मंत्रीगण और मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेट्रियों के लिए कितना खर्चा होता है? मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सचिवालय ने जो स्कीम निकाली है, केन्द्रिय सचिवालय में १० कागज निकालने पड़ते हैं, उसके अनुसार राजस्थान सचिवालय में १५ कागजात निकालने पड़ते ह। मामूली मामूली मुलाजिमों को बोझ माना गया है, खर्चे के माने में? किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका खर्चे के माने में कम हिस्सा है। उच्चाधिकारियों के लिए खर्चा ज्यादा होता है। उसमें कोई कमी नहीं की गई। यदि

उनमें कमी की गई तो एक तिहाई और अहलकारों में आधी और चपरासियों में तीन चौथाई। जैसा जैसा स्तर ऊंचा जाता है, छंटनी की तादाद घटती गई है और यदि यही तरीका है खर्चा कम करने का तो मैं समझता हूं कि खर्चे को कम करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामान्य मुलाजिम के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय! मैं आपका एक और चीज की ओर ध्यान दिलान चाहता हूं। यह केवल बदइन्तजामी ही हो, यही एक बात नहीं है। मुझे इस प्रकार की भी सूचना मिली है कि यहां पर फिजूल खर्ची का भी बहुत अधिक बोल-बाला है। मुझे सूचना मिली है और मैं यह चाहूंगा कि इसकी संबन्धित मंत्री महोदय जांच करें कि जब किसी सामान्य मुलाजिम के लिये खर्चे की आवश्यकता होती है तो एक रुपया भी खर्च करना भार हो जाता है, उनके लिये। लेकिन जब फाइनेन्स विभाग के सेक्रेट्री के बंगले को ठीक कराना होता है तो उसके लिये २७०००) रुपये भी लगाये जा सकते हैं। जिस बंगले में पहले के चीफ सेक्रेट्री रहा करते थे उसमें अब फाइनेन्स सेक्रेट्री रहते हैं और उनके मन माफिक इस बंगले को रीमोडल करवाने के लिये २७०००) रुपये खर्च किये गये हैं। जिन मकानों का सरकार द्वारा रिक्विजिशन किया गया था उनका किराया अभी तक तय नहीं हुआ है और उन मकानों में कई छोटे मोटे अफसर रहे और चले गये; उनसे किराया तक वसूल नहीं किया गया और सरकार को हजारों रुपयों का नुक्सान उठाना पड़ा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात की जांच अवश्य करें। इस तरह से फिजूल खर्ची हो रही है। उसके बारे में तो आपका ध्यान नहीं जाता; पर मामूली क्लर्कों और चपरासियों को निकालने में आपको संकोच नहीं होता। उनसे कहा जाता है कि आप दूसरे विभाग में चले जाइये, जहां पर ६ महीने के बाद यह देखा जायगा कि आप नौकरी में रखे जाने के काबिल हैं या नहीं। उनमें से कई एक २२ साल पुराने नौकर हैं। वे इतने सालों तक तो नौकरी के काबिल थे पर जब एक विभाग का अफसर ६ महीने बाद यदि यह कह देगा कि आप काबिल नहीं हैं तो उनको घर जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि उनको काबिल और नाकाबिल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है! एक ओर तो आप इस तरह से खर्च को कम करने की तरकीब करते हैं और दूसरी ओर बिल्डिंगों में अनाप शनाप रुपया फिजूल खर्च करते हैं। आपने अब तक बहुत सी बिल्डिंगों का किराया वसूल किया? राजस्थान सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ आप इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आपने उनके साथ अन्याय किया है। आपकी इसी नीति पर विचार करने के लिये मैंने यह कट मोशन रखा है। आशा है सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ मंत्री):—जो मांग रखी गई है वह इस प्रकार है:—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 52,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1953 in respect of Grant No. XL, Major Head

25—General Administration. D—Secretariat and Headquarters Establishment.

इस डिमान्ड के ऊपर एक माननीय सदस्य ने जो कट मोशन मूव किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हुए जो पोइन्ट्स सदन के सामने रखे हैं उनके बारे में मैं अध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता से आपके सामने निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही हैं किसी मुद्दे के तथ्य पर, नहीं किन्तु बिलकुल गलत बातें हाउस के सामने रखी हैं। उन्होंने यह बताया है कि इस ग्रान्ट में से १) रु. कट किया जाय और यह कहा कि अभी तक सेक्रेटेरियेट में जो कुछ खर्च किया गया है, पिछले बजट के अनुसार, उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ हैं, बल्कि दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि अभी हाल ही में सेक्रेटेरियेट का जो रीओरगेनिजेशन किया गया है उसका तरीका, उनके कहने के मुताबिक, सही नहीं है। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये इस सदन के सामने यह बात बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो कुछ कार्यवाही, सेक्रेटेरियेट में जो ज्यादा आदमी थे और जो सरकार की राय में सेक्रेटेरियेट के लिये जरूरी नहीं थे उनको यहां से कम करना बहुत ही आवश्यक था और इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर यह काम किया गया था। पहले २२ रियासतों में अलग अलग सेक्रेटेरियेट थे। जिस समय राजस्थान बना था उस समय बिना किसी भेदभाव के उन सभी सेक्रेटेरियेट के मुलाजिमों को यहां बुला लिया गया था। और इस तरह से सेक्रेटेरियेट की स्ट्रेन्थ ८५० के करीब की हो गई थी; जो बहुत ज्यादा थी। सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री भी बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गये थे। आज से १० माह पहले राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से एक एक्सपर्ट बुलाया गया था। उस से इस बात का निरीक्षण कराया गया और राय मांगी गई कि हम किस तरह से राजस्थान सेक्रेटेरियेट के खर्चे में कमी करें और दूसरा खर्च भी किस तरह से कम करें। उन एक्सपर्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी और यह वतलाया कि जैसा कि केन्द्रीय सरकार में एक आदमी १० कागजों की एवरेज के हिसाब से कागज निकालता है और अगर उसी तरह की एवरेज हमारे राजस्थान सचिवालय में भी मानी जाय तो यह मौजूदा स्ट्रेन्थ बहुत अधिक है। इस के अलावा दूसरे प्रान्तों के सेक्रेटेरियेट की स्ट्रेन्थ और खर्चे से हमारे यहां से मुकावला करें तो उन प्रान्तों में जिनकी आबादी हमारे बराबर या अधिक है और एरिया हमारे से अधिक या बराबर हैं, खर्चा और स्ट्रेन्थ हम से काफी कम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रान्तों (पार्ट ए. और पार्ट बी.) के खर्चे और स्ट्रेन्थ को ध्यान में रखकर हमने भी हमारे यहां की स्ट्रेन्थ कम करने की कोशिश की।

श्री हरिकृष्ण व्यास:–On a point of order, Sir. Under rule 66 of Rules of Procedure, "If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table". The Hon'ble Minister is referring to a report of a Committee appointed by the Government on this question. I would like to enquire whether the Report has been laid on the Table of this House.

श्री नाथूराम मिर्धा:—रिपोर्ट कोट करने का मेरा मतलब यह था कि आपको वह बेसिस बताऊं जिसके आधार पर यह कमी की गई। मैं यह नहीं बताना चाहता कि जो कुछ उक्त रिपोर्ट में लिखा गया है उसी को हमने मंजूर किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत से आंकड़े दूसरे प्रान्तों के जो पार्ट ए. और बी. स्टेटस हैं उन्हें हमारे यहां के आंकड़ों से कंपेअर करके हमने राजस्थान सेक्रेटेरियेट की स्ट्रेन्थ निश्चित की है। उसी रिपोर्ट को पूरा माना गया, यह बात नहीं है। हमने अपने यहां ९ सेक्रेट्री, १४ डिप्टी सेक्रेट्री, १६ एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री और ३५० क्लार्क्स रखे हैं। तो इस तरह माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि सेक्रेटेरियेट में कर्मचारियों का दो-दो तीन-तीन मिनट में इम्तिहान लेकर उनके भाग्य का फैसला कर दिया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि। दो-दो, तीन-तीन मिनट के Interviews उन लोगों की मर्जी के माफिक लिये गये पहले जो इम्तिहान लेने की बात थी उसको उन्होंने मंजूर नहीं किया और उन्हीं के कहने से Interview लिए गए। उनके पुराने रेकर्ड्स, केरियर और Length of service आदि का ध्यान रख कर एक Expert और कमेटी ने इस मसले को तय किया। जिन लोगों को हटाया गया उस सम्बन्ध में उनके मेरिट के बेसिस पर बड़े सोच विचार के बाद इस मसले को तय किया गया। इसके साथ जो बहुत सी बातें जोड़ी जाती हैं कि फलां आदमी का दिमाग खराब हो गया, फलां आदमी मर गया; इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है उसको पढने से सारी स्थिति का खुलासा हो जायगा और यह मालूम हो जायगा कि इस तरह की घटनाओं का इससे लिंक करना इस हाउस के सदस्य के नाते शोभा नहीं देता।

इन्होंने इस सम्बन्ध में जो Criticism किये हैं वे Relevant नहीं हैं। जो यह Demand है वह खास तौर से Secretariate के लिये नहीं बल्कि Districts में Officers को जागीर एबोलिशन के लिए और दूसरे खर्चों के लिए रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में Jagir assessment के लिए जो ओफीसर्स रखे जायंगे उन पर खर्च करने के लिए यह ५२०००) रु० की Demand रखी है। Supplementary मसला बाद में तय हुआ था; इसलिए यह डिमान्ड रखी है। अत: जो Criticism किये गये हैं वे ठीक नहीं हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया है वह बिल्कुल सही नीति है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। जितनी श्रद्धा से यह कहा जाता है कि इतने आदमियों की छंटनी करने से सरकार लोगों का भला नहीं कर सकती; यह उचित प्रतीत नहीं होता। पब्लिक पैसा Taxes के जरिये सरकार को देती है। बिना जरूरत के उस पैसे को हम खर्च करते जायं तो यह दृष्टिकोण सरकार का सही दृष्टिकोण नहीं होगा और इस तरह इस पैसे का सदुपयोग भी नहीं होगा।

अत: अंत में मैं निवेदन करता हूं कि यह डिमाण्ड बहुत जरूरी है; इसे पास किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यासः--माननीय अध्यक्ष! माननीय मंत्री, मैंने जो फिजूल खर्ची के बाबत जो मुद्दे निकाले थे उनका उत्तर देते तो ठीक रहता।

श्री नाथूराम मिर्धा:--कौन से मुद्दे ?

श्री अध्यक्ष:—Does the Hon'ble Member want his cut motion to be put to vote or does he want only to draw the attention of the Government to this

श्री एच. के. व्यास:—I also want it to be put to vote.

श्री अध्यक्ष:—The question is "that the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 52,000/- in respect of General Administration-D-Secretariat and Headquarters Establishment–be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government in the matter of its policy towards the services and check-up on the accounts of the Local Bodies.")

(अस्वीकृत)

The cut motion is lost.

The Question is that the original motion which is as under:—

"That, a supplementary sum not exceeding Rs. 52,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1953 in respect of grant No. XL, Major Head 25-General Adminis- tration-D-Secretariat and Headquarters Establishment" be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

Demand No. XLI.—25-General Administration:—The motion is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,45,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1953, in respect of Grant No. XLI-Major Head 25-General administration. "

Mr. H. K. Vyas to move the cut motion.

श्री हरीकृष्ण व्यास:-Sir, I move that the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,45,000/- in respect of General Administration be reduced by Re. 1/-.

माननीय अध्यक्ष ! यह जो मद् की मांग की गई है इसका ताल्लुक भी General administration से है और इसलिए जो बातें मने पहले जिक्र की हैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता । परन्तु सब से पहले माननीय अध्यक्ष ! मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिसाब के मामले में एक विचित्र सी परिस्थिति पेश की जा रही है । हमारे सामने इस मद् का कुल खर्चा २४३०००) रु. बताया गया है परन्तु चूंकि Additional Jagir Commissioner की जो पूर्व मंजूरी है, वह मंजूरी काम में नहीं आयगी और वह खर्चा बच जायगा । इसमें से कुछ खर्चा इसका निकल जायगा । इस लिए हाउस से १४५०००) की मंजूरी के

लिए प्रस्ताव रखा गया है । अब सदन के सामन यह भी प्रश्न है कि जागीर कमिश्नर के Establishment के सम्बन्ध में ४३०००) रु. की एक नई मंजूरी मांगी जा रही है । मुझे यह समझ में नहीं आया । एक मंजूरी सदन ने दी है और सदन को केवल १४५०००) रु. मंजूर करना है Additional Jagir Commissioner के बजाय जागीर कमिश्नर के मद्द में नई मंजूरी मांगी जा रही है । यह हिसाब का तरीका साफ और ठीक नहीं जंचा ।

दूसरा सवाल जो इससे ताल्लुक रखता है और जिसके लिए यह मंजूरी ली जा रही है वह यह है कि पुरानी रियासतों में जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स का खर्चा था उसके हिसाब को ठीक ठीक रखने के लिये एस्टेब्लिशमेन्ट रखा जावेगा उसके लिये यह मंजूरी ली जा रही है और इस सम्बन्ध में जो हमारे पास स्टेटमेन्ट आया है उसके मुताबिक पूरा का पूरा खर्चा करीब २ लाख ४३ हजार रुपया माना गया है । तो मैं यह नहीं समझ पाया कि हिसाब रखने के लिये जो नया एस्टेब्लिशमेन्ट मुकर्रर किया जा रहा है वह कैसा तरीका है । कोर्ट ऑफ वार्ड्स पहले भी सरकार की देख रेख में चलने वाला महकमा है । आज तक भी चलता है और पहले भी राजस्थान की अलग अलग रियासतें थीं; तो भी वह सरकार की देख रेख में ही चलने वाला था और इस डिपार्टमेन्ट का काम काज उस समय कैसे चलता था ? चलता ही था, उस वक्त भी हिसाब भी रखा जाता था। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि आज कौन सी नई चीज हुई जिसमें इतना बड़ा मद्द एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए आवश्यक है और इतने बड़े एस्टेब्लिशमेन्ट की आवश्यकता हुई ।

दूसरा कारण जिसके लिये यह कटमोशन रखा गया है वह ज्यादा बुनियादी है और वह यह है कि जब किसी ठिकाने की देख रेख करने का जिम्मा सरकार लेती है और उसकी देख रेख सरकार के अधिकारी करते हैं तो फिर जो खर्चा उनकी देख रेख के लिये सरकार का खर्च होता है वह उस ठिकाने से क्यों नहीं लिया जाता । यह चीज सरकार के सामने लाने के लिये मैंने यह कट मोशन पेश किया है । आप यह खर्चा, जो ठिकानों से वसूल किया जाना चाहिये, आम जनता, आम लोगों पर मत डालिये । यह खर्चा उन्हीं ठिकानों पर हो और उनकी आमदनी से वसूल किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि कम से कम ट्रेजरी बेंचेज़ के सदस्य मेरे इस कट मोशन को पास करेंगे और हमको सहयोग देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा:--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस डिमान्ड के सम्बन्ध में कट मोशन रखते हुए जो खास दो पोइन्ट्स रेज किये हैं; (१) यह कि इसमें कौनसी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, कोर्ट आफ वार्ड्स पहले ही से काम करता है फिर उसमें क्या जरूरत है कि एक लाख पैंतालीस हजार रुपया और ज्यादा रखा जावे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह हिसाब रखने का कोई ठीक तरीका नहीं है क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि एडिश्नल जागीर कमिश्नर की सेविंग को बचा कर काम में लिया जाएगा और फिर दूसरी तरफ जागीर कमिश्नर के जरिये से मांग की जारही है; यह तो कोई ठीक नहीं जंचता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपके और हमारे ठीक जंचने का कोई प्रश्न

नहीं है। यह तो एकाउन्टिंग का प्रोसेस है। एकाउन्टेन्ट जिस चीज को ठीक मानता ह उसी तरह से हिसाब रखा जाता है। उसकी यह मांग है। यह आपके और हमारे सोचने से नहीं होता। एकाउन्टेन्ट इस काम में एक एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट के नाते जो सरकार की तरफ से सही चीज हो उसको हमें मानना चाहिये; इसके साथ साथ उन्होंने यह पोइन्ट रेज किया; कि पहले भी कोर्ट आफ वार्ड था और उसके मुलाजिम भी थे। यह सारा एक तरीका बनाने के लिये, यह, युनिफोर्मिटी ओफ पे स्केल करने के लिये हमें कुछ नया एस्टेब्लिशमेंट कायम करना पड़ा बोर्ड आफ रेवन्यू में भी अपर डिविजन क्लर्क और लोवर डिविजन क्लर्क्स और फोर्थक्लास सरवेन्ट थे; उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ा। ५ पी.ए., ३० लोवरडिविजन क्लर्क्स, अपरडिविजन क्लर्क और १५ फोर्थक्लास सरवेन्टस देने पड़े; थ्री फोर ईंच। इसलिये यूनिफिकेशन ऑफ पे स्केल को लागू करने के लिये कुछ एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना पड़ रहा ह और उसके लिये कुछ रुपयों की आवश्यकता है।

दूसरा पोइन्ट बतलाते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सरकार जब ठिकाने कोर्ट आफ वार्ड्स में लेती ह तो खर्चा भी उन्हीं ठिकानों से क्यों नहीं लिया जाता। मैं इस संबन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि जो ठिकाने सरकार में कोर्ट आफ वार्ड्स के आधीन आते हैं उन ठिकानों से सरटन परसेन्टेज ओवर हैड मीट करने के लिये सरकार लेती ह। अब उनका युनिफिकेशन करके ओवर हेड चार्जेज पहले से केल्कुलेट करलेते हैं और वे रेवेन्यू हेड में जमा होते हैं। इसलिये यह कोई समझे कि यह कोई नया खर्च है, बिल्कुल गलत बात है; सही है, ऐसा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ऐसी सूरत में माननीय सदस्य अपने कट मोशन को वापिस लेने की कृपा करेंगे और सदन का समय बचावेंगे।

श्री श्रीभानसिंह:—On a point of information, Sir. Will there not be a general discussion on the supplementary grants:

श्री अध्यक्ष:—It is only a part of general budget. These are only supplementary demands and so on supplementary budget there is no general discussion.

श्री गोपीलाल यादव:--अध्यक्ष महोदय, हर आइटम पर जनरल डिस्कश होना लाजमी है; इस लिये यदि कोई कटमोशन नहीं भी लावें तो भी जनरल डिस्कशन होना चाहिये, मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं. यह चाहूंगा कि आ इस पर अपना निर्णय दें, इस संबन्ध में, कि जनरल डिस्कशन आप एलाउ करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष:--जनरल डिस्कशन तो जब बजट पेश होता है उस वक्त होता है और यहां पर जो सप्लीमेंट्री बजट रखा गया है उसमें जो कटमोशन रखता हैं उसको बोलने के लिये समय दिया जाता है।

It is only a part and parcel of the same budget which has originally been put and on every motion of demand

there is no cut motion and the Hon'ble Member will have an opportunity to have a discussion on every item which is put in for demand.

So the question is "that the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 1,45,000/- in respect of General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government policies in this regard)".

(अस्वीकृत)

The motion is lost.

(विराम)

Now the question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,45,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLI—Major Head 25—General Administration."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

The motion is:—

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 83,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XXXIX—Major Head-7-Land Revenue".

श्री एच. के. व्यास:—माननीय अध्यक्ष, इस मांग पर मैं निम्नलिखित कट मोशन पेश करना चाहता हूं:—

"That the Demand for supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 83,000/- in respect of Land Revenue be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government to energetically proceed with the resumption of Jagirs)."

माननीय अध्यक्ष, जिस मद में यह ८३ हजार रुपये की मन्जूरी हमसे मांगी जा रही है वह मद है जागीर कमिश्नर के एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे के सिलसिले में। यह सदन के सामने एक पूरी तरह उनकी जानकारी की चीज है कि १८ फरवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा यह कानून शाया कर दिया गया और लागू कर दिया गया, जिसका ताल्लुक इस मद से है; मेरा इशारा जागीरी खतम करने के कानून से। १८ फरवरी से लगाकर आज तक इतने महीने बीत गये और उस पूरे दरमियानी अरसे में सरकार द्वारा एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो इस खर्चे की मन्जूरी से ताल्लुक रखता है। मेरा इस मद में कमी करने के सिलसिले में प्रस्ताव का आशय यह है, उसकी मन्शा यह है कि जो कायदा पास किया गया है, उस कायदे पर क्यों नहीं अब

तक अमल किया गया, क्यों नहीं उसके मातहत कार्रवाई की गई ? म जानता हूं कि यह कहा जायगा कि कानूनी अड़चनें आ गईं, मैं जानता हूं कि यह कहा जायगा कि सरकार के हाथ की वह बात नहीं रही; लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो कानूनी अड़चनें आईं वे कानूनी अड़चनें भी उसी दिमाग से पैदा हुई हैं, उसी सरकार के मातहत अधिकारियों की लापरवाही से हुई है या जानबूझकर इस चीज को पैदा किया गया है। कायदा बन जाने के बाद, मन्जूरी हो जाने के बाद इस पर अमल नहीं हुआ और इधर से उधर तब्दीलियां हो गईं। तो क्या सरकार ने इस पर कुछ छानबीन करने का प्रयत्न किया ? यह एक महत्वपूर्ण कायदा पास किया गया था जिसको अमल में लाने के लिए एक, दो नहीं लेकिन हजारों आदमियों की इच्छा थी, वे चाहते थे कि यह कानून जल्दी से जल्दी अमल में लाया जायगा। ऐसे गंभीर कायदे के बारे में इस प्रकार का स्थगन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाना और उस पर बाद में कानूनी अड़चनों, कानूनी बन्दिशों, कानूनी मजबूरियों का हवाला देकर इस कार्रवाई की सफाई देना, कहां तक ठीक है। मैं यह भी सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जिन कानूनी अड़चनों का जिक्र यहां किया जायगा वे अभी बहुत कम अर्से से पैदा हुई हैं। उसके पहले १८ फरवरी से लगा कर और पूरे ४ महीनों तक कोई ऐसी बात नहीं थी। केवल खामी अगर थी तो सरकार की इच्छा की खामी थी, केवल अगर खामी थी तो सरकार के कार्यवाही करने की तैयारी की खामी थी। मैं इस मांग में कमी इसलिए करना चाहता हूं कि सरकार जानबूझ कर इस कायदे को अमल में लाने में ढिलाई कर रही है, जानबूझ कर इसके बारे में ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि एक तरफ तो दुनिया के सामने उसको यह ढिंढोरा पीटने का मौका मिले कि उसने कानून तो बना दिया, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से; या यों कहिये कि अपनी तैयारी नहीं होने की वजह से वह इस कायदे को अमल में नहीं लाती। मन्जूरी ली जाती है तो जागीर कमिश्नर के एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए; तो क्या पिछली मन्जूरी ली गई उसमें एक भी कदम नहीं लिया गया ? इसका मतलब यह है कि कहने के लिए मन्जूरी ली जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार के संबंधित मंत्री महोदय हमें इसका उत्तर देते हुए सरकार की आगे की क्या नीति है; साफ बतायेंगे। इसी दृष्टिकोण को, इस बात को रखने के लिए यह कटमोशन जो मूव किया है उसे सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष ! सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस बजट सेशन के अन्दर जो कि थोड़ी बहुत डिमान्डस रखी गई हैं, उसमें हम लोग उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, जितनी कि पिछले सेशन में ली थी। हमको यह पूरा विश्वास हो गया है कि गवर्नमेन्ट को जो कुछ भी कहा जाय, ईमानदारी से और सच्ची से सच्ची तजवीजें जो गवर्नमेन्ट के सामने रखी जायं, उनमें से वह किसी एक पर भी अमल करने को तैयार नहीं है, किसी एक बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में हम लोग अपना समय खराब करें और गवर्नमेन्ट को उसके रास्ते में हम कुछ रोड़े से नजर आयें, और साथ ही पब्लिक का समय खराब हो, रुपया भी खराब हो, यह प्रोसीडिंग्स भी लम्बी चलें; महीनों चलें; जिससे पेमेन्ट अधिक

करना पड़े; तो ठीक नहीं। यह इसलिये हो रहा है कि एक ही दिन में ग्रान्ट्स भी जल्दी ही मन्जूर हो जायं और पब्लिक के रुपये की बचत भी हो। इस खयाल से हम लोग इसमें जो कुछ हिस्सा लेना चाहते थे वह नहीं ले रहे हैं। और अगर हमको यह विश्वास हो जाय, यह पता चल जाय, किसी वक्त भी कि गवर्नमेन्ट आज सीधे रास्ते पर आ रही है, आज वह मतवालापन जो है उसको छोड़ कर जनता की मांग को मानने को तैयार है, जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उनको दूर करने को तैयार है, तो हम सब बातों में पूरा कोऑपरेशन देने को, तैयार हैं।

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की मांग पर में इसलिए कहने को खड़ा हुआ हूं कि पिछली दफा भी हमने कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जरिये से जनता को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। जागीर विभाग में ५ हजार से कम वाली जागीरें जो हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह जागीर एबोलिशन इसलिए किया गया है कि जागीरदारों और किसानों के बीच लड़ाई जारी रखी जाय। गवनमेन्ट की मन्शा न छुआछूत मिटाने की है न जागीरदारी मिटाने की, न गवर्नमेन्ट की मन्शा केपिटलिज्म को मिटाने की है। जिस तरह अंग्रेजों ने मुस्लिमलीग कायम की उसी तरह से गवर्नमेन्ट इन चीजों को बनाये रखना चाहती है। यदि गवर्नमेन्ट हिन्दुस्थान में छुआछूत को मिटाना चाहती तो आज उसके बांये हाथ का काम था कि छुआछूत को खतम कर देती, सबको बराबर ले आती। लेकिन ऐसी बराबरी करन में वह शेड्यूल्ड कास्ट्स के इतने लोगों के वोट नहीं ले सकती थी। वह इसलिए छुआछूत कायम रख रही है ताकि उन लोगों से कहा जाय कि यह छुआछूत आज तक नहीं मिटी है। आज यह छुआछूत मिट जाती है तो सब लोग भाई-भाई की तरह बराबरी पर रहेंगे और शेड्यूल्ड कास्ट्स का एक भी आदमी गवर्नमेन्ट के लिए वोट देने को तैयार नहीं होगा। यदि गवर्नमेन्ट आज जागीरदारी को मिटा दे तो लाखों किसान, जो कि इस समय इस गवर्नमेन्ट को इस उद्देश्य से वोट देने जा रहे हैं कि यह जागीरें खत्म करेंगे, वे इस गवर्नमेन्ट को वोट नहीं देंगे इसलिए वह जागीरों को नहीं मिटाती है और जागीरें कायम रख रही है, और मिटाने का बहाना करती है। मैं तो सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के इन्टेन्शन्स में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। गवर्नमेन्ट के कामों में उन अंग्रेजों के डिवाइड एण्ड रूल की पोलिसी की बू आ रही है, खुल्लमखुल्ला। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि इस गवर्नमेन्ट के सामने कुछ कहना वैसा ही ह जैसा कि 'बहरे के सामने रोना'। यह कह कर में अपना स्थान लेता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष ! इस डिमान्ड के सम्बन्ध में मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ जो माननीय श्री एच० के० व्यास ने कहा कि सरकार जागीरदारी समाप्त करने के बारे में क्रियाशील नहीं है और जान-बूझकर जागीरों को कायम रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि शायद वे इस बात को कहने के लिए कह गये होंगे; दिल में जरूर विश्वास होगा कि सरकार की नीति ज्योंही कानूनों की अड़चनें समाप्त हों; शीघ्रातिशीघ्र जागीरदारी समाप्त करने की है। सदन के सदस्यों से यह बात छिपी हुई

नहीं है कि ज्योंही एक्ट पास हुआ इसके बाद दो महानुभावों ने हाईकोर्ट में रिट के लिए दरख्वास्तें दे दीं उन पर हुक्म हो गया था । इसके बाद हम जब इसके लिए तैयारी करते अन्य जागीरदारों से जागीरें रिज्यूम करने के लिए; पर वे लोग रिट पेश कर देते । इस कानून के बनाते समय सहयोग का आश्वासन मिला था । इसलिये वह जागीरें रिज्यूम करने के अन्दर हमें सहयोग देंगे ऐसी आशा थी। पर इसके बाद सब के सब ने हाईकोर्ट के अन्दर रिट के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किये, इसी के कारण आज जागीरदारी रिजम्पशन कानून रुका हुआ है । मैं समझता हूं कि सब सदस्यों के सामने यह बात बहुत स्पष्ट है । मैं दृढ़ता पूर्वक माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्योंही कानूनी अड़चनें समाप्त होंगी, सरकार का कतई विलम्ब करने का इरादा नहीं है, जागीरदारी प्रथा राजस्थान में समाप्त की जायगी । यह सरकार की आधारभूत नीति है कि जागीरें समाप्त की जानी चाहिये । माननीय श्री गोपीलाल यादव ने यह बात कही कि सरकार जागीरें कायम रखना चाहती हैं, पांच हजार से नीचे की, जिसमें सरकारी नीति यह है कि जागीरदारों और किसानों के बीच संघर्ष चलता रहे । उनको सरकार के इरादों में विश्वास नहीं । मैं आज जो उनसे कह रहा हूं शायद उसमें भी उनको विश्वास नहीं होगा, परन्तु उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार की भेदभाव की नीति पर सरकार अपना शासन नहीं चलाना चाहती; बल्कि वह पांच हजार से नीचे की जागीरों के बारे में काफी विचार कर रही है और जो निर्णय होगा वह बहुत जल्दी सदन के सामने आने वाला है । यह मान कर चलिये कि सरकार की नीति, जहां तक जागीरें समाप्त करने का प्रश्न है, इस मामले में बहुत स्पष्ट है; जागीरी प्रथा द्वारा जो शोषण जनता का हो रहा है उसे समाप्त करने को सरकार कटिबद्ध है।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो कटमोशन इस इरादे से पेश किया गया है कि जागीरें जल्दी से जल्दी समाप्त करने की ओर कदम बढाया जाय उन्हें मेरे इन शब्दों से विश्वास होना चाहिये और वे अपना कटमोशन विदड्रा करेंगे; ऐसी आशा करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष ! बहुत इर्रिलेवेन्ट होते हुए भी माननीय यादवजी ने जो कहा कि इस शासन में विरोधी पक्ष की मांगों और सुझावों पर, सरकार इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही है, उनकी मांगों पर उनके सुझावों पर, सरकार विचार करने के लिए तैयार नहीं है । मैं समझता हूं कि दिलचस्पी कम हो जाने के कारण, सरकार उस पर विचार करती है या नहीं यह नहीं है बल्कि इसके मूल में कुछ और ही है । विरोधी पक्ष के सदस्यों में उत्साह की कमी जरूर नजर आ रही है, 'सरकार उनकी मांगों पर या सुझावों पर विचार नहीं करती इसलिये'; यह कहना गलत है । इस आरोप को लगाये बिना यदि वे कहते कि 'हममें उत्साह की कमी हो गई है', तो ज्यादा उपयुक्त होता ।

मैं समझता हूं कि अगर वे किसी बात को रखेंगे तो सरकार उस पर सदैव विचार करने के लिए तैयार है और रहेगी; इस विश्वास के साथ उनको चलना चाहिये ।

लेन्ड रेवेन्यू और जागीरों की बात करते करते, मैं कहना चाहता हूं कि छुआछूत की बात कही गयी है, जिसका इसके साथ कोई मतलब नहीं था। सोचा होगा, कहना चाहिये इसलिए इस बात को भी कह दें कि सरकार छुआछूत कायम रखना चाहती है। सरकार के लिए यह कहना सरकार के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, सरकार के साथ गैर इन्साफी है। सरकार छुआछूत कायम रखना चाहती है या नहीं; इस सम्बन्ध में सरकार की नीति आज से नहीं कई वर्षों से स्पष्ट है। वे अपने भाषण से असर पैदा करना चाहते हैं परन्तु उनके दिल के अन्दर छुआछूत को समाप्त करने की भावना नहीं है। उनका भाषण यह असर पैदा नहीं कर सकता अगर वे क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं करना चाहते। उनके भाषण से उनकी यह नीति स्पष्ट है। यह प्रश्न इस कटमोशन से सम्बन्धित नहीं था फिर भी मुझे इसके लिए कुछ कहना पड़ा। मैं उम्मीद रखता हूं कि माननीय एच० के० व्यास जिन्होंने यह कटमोशन मूव किया है जिन शब्दों में मैंने विश्वास दिलाया है उन पर गौर करते हुए अपने कटमोशन को वापिस लेंगे।

श्री गोपीलाल यादवः—ऑन दी पोइन्ट आफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर। इस वक्त मैंने जो दो–तीन बातें कही हैं उनको भी अविश्वास प्रकट कर टाल दिया गया है। सरकार की यह एक तरह की नीति बन गई है, वह कोई भी बात को गलत समझने लगी है। कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि मैंने जो छुआछूत की बात कही है उसमें बनावटी पन था। अगर जागीरदारी के सम्बन्ध में जो बात कही उसमें बनावट होती तो मैं नहीं समझता कि जब मैं यह जानता हूं कि उधर के मित्र मेरे से कन्धा नहीं लगाते तो ऐसी बात कह कर मैं इधर के मित्रों को क्योंकर नाराज करने लगा।

छुआछूत के सम्बन्ध में मैं यह मानता हूं कि सरकार सिर्फ इसे कायम ही नहीं रख रही है बल्कि वह इस विषय में अंग्रेजों की नीति अपना रही है। जैसे अंग्रेजों ने हिन्दू–मुस्लिम समस्याओं को रखा था उसी तरह कांग्रेसी सरकार छुआछूत की नीति पर चल रही है।

श्री एच० के० व्यासः—कानूनों की अड़चने क्यों आ रही हैं; इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण किया जाता तो अच्छा रहता। माननीय मंत्रीजी ने इस विषय में कुछ नहीं फरमाया है; कुछ फरमाते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री अध्यक्षः—No, no. I want your decision. Do you want this to be put to vote.

श्री एच० के० व्यास—That depends on that explanation, Sir.

श्री अध्यक्षः—No, no.

श्री एच० के० व्यासः—Then I want to press it.

श्री अध्यक्ष: -The question is "that the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 83,000/- in respect of Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to energetically proceed with the resumption of Jagirs)."

(अस्वीकृत)

The motion is defeated.

The question is that "a supplementary sum not exceeding Rs. 83,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XXXIX - Major Head 7—Land Revenue."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

Demand No. XLII—37—Education.

The motion is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLII—Major Head 37—Education."

(विराम)

श्री एच० के० व्यास:--I beg to move "that the demand for supplementary of a sum not exceeding Rs. 4,00,000/- in respect of Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government regarding provision of adequate staff and equipment for schools and colleges; text books; opening of new schools and colleges wherever urgently needed; and satisfaction of demands of the night class students)."

माननीय अध्यक्ष ! जिस ओर से यह मांग की गई है उसकी नीति से, उसकी कार्यवाही से ताल्लुक रखने के लिए ३०–४० प्रश्न इस सदन में पूछे गये थे और उनके उत्तर भी हमारे सामने हैं और सब से पहले इस मांग को प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उत्तर हमारे सामने आये उन उत्तरों ने मेरी इस धारणा को और भी बलवती कर दिया है कि इस कट मोशन को पूरी तरह से पास किया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने सदन में जब टेक्स्ट बुक्स का सवाल आया था तो माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि सरकार इस सवाल पर विचार कर रही है और जल्दी ही फैसला देने वाली है। शायद यह सदन के सामने दृष्टिकोण रखने का प्रयत्न किया गया हो कि अब जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी पुरानी भूतपूर्व रियासतों की सरकारों पर है, राजस्थान सरकार पर नहीं। हम समझते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उनका ताल्लुक माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत न होकर उनके विभाग से होता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे माननीय मित्र मोदीजी ने वे किताबें सदन के सामने पेश कीं जो सरकार द्वारा प्रमाणित थीं। हमें मालूम है

कि पिछले साल उस समय के शिक्षा मंत्रीजी ने इस सदन के पहले एक कमेटी बिठाई थी और उसकी सिफारिशें मांगी थीं। कमेटी ने सिफारिशें कीं। हमें यह नहीं मालूम है कि उन्हीं के आधार पर टेक्स्ट बुक्स मंजूर हुई; परन्तु यह कैसे कहा गया कि कमेटी नहीं बिठाई गई। उनके पहले के शिक्षा मंत्रीजी ने सिलेबस बनवाया था और वह छपा भी। तो यह साफ है कि राजस्थान सरकार इस पर विचार नहीं कर पायी है और उसने कोई फैसला नहीं किया है। टेक्स्ट बुक्स के बारे में सरकार की जो नीति है उसका नतीजा यह होता है कि न सिर्फ मामूली विद्यार्थी ही को और उनके गार्जियनों को खर्चा करना पड़ता है बल्कि सरकार को भी काफी खर्चा करना पड़ता है। हर साल किताबें बदलती हैं और आठवीं और सातवीं में पन्द्रह-पन्द्रह किताबें होती हैं। छोटी छोटी लाइब्रेरियों के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। क्यों ऐसी नीति बरती जाय कि पढ़ने वाले विद्यार्थी और सरकार को खर्चा करना पड़े? कुछ ऐसे अखबार हैं जिनकी, अखबारों के नाते, कोई कीमत नहीं। जिनको राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किया जाता है, अलग अलग स्कूलों में पहुंचाने के लिए। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अखबारों को मंजूर करने में घोर पक्षपात किया जाता है। उन अखबारों में काम का मसाला हो या न हो, किन्तु जो सरकार के मंत्री महोदय का गुण गाने वाले हैं, सरकार की नीति की सराहना करने वाले हैं उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी दी जाती है और अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में सरकारी खर्चा देकर रखवाने की व्यवस्था की जाती है।

दूसरा कारण यह है इस प्रस्ताव के रखने का और उसका सम्बन्ध उन उत्तरों से है जो हमारे सामने दिये गये हैं। सरदारशहर का मसला इसलिए लाना चाहता हूं कि वह सारे के सारे शिक्षा विभाग की नीति को प्रतिबिम्बित करता है। ज्योतिषी है वह। पिछले साल कालेज में अध्यापकों की कमी हुई और करीब करीब अक्टूबर माह में अध्यापक पहुंच पाये। एक अध्यापक महोदय अगस्त में, एक अध्यापक महोदय। सितम्बर में और एक अध्यापक महोदय अक्टूबर में पहुंचे, और जब कि सेशन के चार माह निकल जाते हैं। तो जब अक्टूबर माह में किसी विषय के अध्यापक महोदय पहुंचे तो वहां के छात्र किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। जो अध्यापक अक्टूबर माह में, सेशन के चार माह बाद, पहुंचे उनको इस साल बगैर किसी एवजी का इन्तजाम किये, बदल दिया गया। वहां की और मांग होगई है दो अध्यापकों की। यह है इस विभाग के तरीके का नक्शा, जो हमारे सामने रखा जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं और इस प्रकार उनको एक साल का नुकसान हो जाता है, अभी तक भी वहां दो विषय के शिक्षक नहीं पहुंचे हैं; हड़ताल करने की नौबत भी आई।

इसी प्रकार की नीति बर्ती जारही है रात्रि कक्षाओं के विद्यार्थिओं के लिये मैंने इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा है और जो आगे आवेगा हमारे सामने। यदि आज ही हमारे सामने वह आजाय तो ठीक है। रात्रि कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिकायत है कि जो फीस उनसे ली जाती है उस आमदनी

की मद से सरकार को पैसा बच जाता है और जो बचत होती है आखिर सरकार उसका क्या करती है ? आज तक हमने नहीं सुना कि शिक्षण संस्थाओं की मुराद पूरी की जाती है। पैसे में से पैसा बचत करके जमा रखा जाता है। क्यों नहीं फीस कम की जाती है ? इनक साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है। इधर युनिवर्सिटी यह कहती है कि एक्सटर्नल स्टूडेन्ट्स को हम कोई फेसिलिटीज नहीं दे सकते। सरकार कहती है कि हम नये अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर सकते। उनकी इमदाद करना तो दूर रहा उनकी आमदनी में से जो बचत हुई है उससे अध्यापकों की व्यवस्था तो करना दूर रहा उनकी जमा फीस का भी कुछ नहीं किया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो साल में हमें फीस से कितनी आमदनी हुई; वह हमारे सामने रखी जाय ?

तीसरा कारण यह है इस प्रस्ताव को पेश करने का और उसका सम्बन्ध है शिक्षण संस्थाओं के बारे में सरकार की नीति। माननीय मंत्रीजी द्वारा जो चीज हमारे सामने लाई गई है वह यह है कि कुछ नये अध्यापकों की जगह की गई है और उसके लिए इस खर्च में गुन्जाइश की गई है; कुछ नई शिक्षए संस्थाओं को हाथ में लिया गया है और उनके लिये खर्चा किया जाता है। मेरा यह कहना है कि इन शिक्षण संस्थाओं को लेने में और अध्यापकों की मंजूरी में, वहां के आम लोगों का, आम जन समूह का ध्यान नहीं रखा जाता। ख्याल यह रखा जाता है कि जिस इलाके में वह शिक्षण संस्था हो उस इलाके का कोई माननीय सदस्य हो अथवा कोई कांग्रेसी नेता हो, और उस सम्बन्ध में उसकी सिफारिश पहुंची या नहीं। मिसाल के तौर पर एक केस रखना चाहता हूं। दो साल पहले झूंझुनू जिले में घासीराम, शिक्षण संस्था को सरकार ने अपने हाथ में लेना पसन्द किया। एक साल, जब नया साल शुरू होता ह, तो अचानक सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि हम उसे रखने को तैयार नहीं हैं। आखिर एक साल तो उन्होंने चन्दा करके काम चलाया। उन्होंने पूछा कि इसका कारण तो बताया जाय। किन्तु कोई जबाब नहीं दिया गया। नोटिस तो दिया जाना चाहिए था। हमें यह तो अधिकार है कि सरकारी से गैर सरकारी बना दें; किन्तु न तो कोई नोटिस ही दिया जाय और न कोई कारण ही बताया गया। एक साल बाद फिर चन्दा करना पड़ा और संस्था को चलाना पड़ा। फिर लगातार कोशिश करने के बाद, शायद फिर उसे सरकारी करने का एलान किया गया। एक नहीं अनेकों ऐसे मसले हमारे सामने ह। पक्षपात के आधार पर नीति बरती जाती है, सरकारी या गैर सरकारी करने के बारे में। जिस विभाग में टेक्स्ट बुक्स के बारे में गोलमाल की नीति हो, न सिर्फ स्कूलों मे बल्कि कालेजों में भी अध्यापकों की कमी हो, साइन्स अपेरेटस, लाइब्रेरीज और हर चीज के लिए लगातार आवाजें आती हो और सुनने में नहीं आता कि कोई खास इन्तजाम किया गया हो, हड़तालें होने लगती हों। मंत्री महोदय द्वारा कहा यह जाता है कि पता नहीं किस कारण से हड़ताल हुई है। इस प्रकार की नीति बरती जा रही है। क्या माद्दा बताया जाय उसके लिए ? क्या विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ? यह राय पेश करने के लिए ही मैंने सदन के सामने यह कट मोशन पेश किया है।

श्री तनसिंह:--अध्यक्ष महोदय ! यह जो कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मुझे कुछ कहना है। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो मांग हमारे सामने रखी है उसे यदि बहुमत के हिसाब से ही देना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा; लेकिन जहां तक शिक्षा विभाग के इन्तजाम और कर्तव्यशालीनता का प्रश्न है वहां तक, बड़े अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी अन्य विभागों में मौज नहीं है उससे कहीं अधिक मौज शिक्षा विभाग में है और बढ़ती जारही है। इसका उदाहरण न केवल एक क्षेत्र से आनेवालों से आपको मिलेगा बल्कि सभी क्षेत्रों से आपको इसके बारे में शिकायतें मिलेंगी। मैं जिस कॉन्स्टीटयुएंसी (निर्वाचन-क्षेत्र) से आया हूं वहां पर इतनी बेजाब्तगियां बढ़ती जारही ह कि उनका न कहना ही अच्छा है। जब हम सदन के सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आपके सामने रखते ह, उन महत्वशाली बातों की भी सुनवाई नहीं होती तो हम कैसे महसूस कर सकते ह कि उन निस्सहाय अध्यापकों की सुनवाई आपके यहां होती होगी। वे लोग जिन कष्टों के साथ स्कूल चलाते है उन्हें वे ही जनते हैं। मैं यहां बाड़मेर की एक स्कूल का जिक्र करूंगा। राजस्थान बनने से पूर्व जोधपुर रियासत के शिक्षा विभाग ने बाड़मेर के मल्लीनाथ बोर्डिंग हाउस के संचालकों से कहा था कि आपके बोर्डिंग का बरंडा दो माह के लिये स्कूल के छात्रों के उपयोग के लिये दे दीजिये। इसके बाद हम बिल्डिंग का इन्तजाम करलेंगे। दो महीने निकल गये, दो साल निकल गये और इसके दुगुने चार साल निकल गये; लेकिन अब तक उन विद्यार्थियों के लिये मकान का प्रबन्ध नहीं हो सका। वह वरन्डा इतना गंदा हो गया है कि वहां बैठना मुश्किल हो गया है। बोर्डिंग के संचालकों ने शिक्षा विभाग से कहा कि आपके किराये से तो हम तृप्त हो गये पर इसे वाइट वाश तो आप करा दीजिये ताकि बच्चों का स्वास्थ्य तो ठीक रहे; पर कौन सुनवाई करता। नतीजा यह हुआ कि वरन्डा तो मैला हुआ सो हुआ ही बच्चों के काम आनेवाली डेस्कें वगैरा भी खराब होने लगीं। खुले वरन्डे में कौन हिफाजत रखनेवाला है। बहुतसी डेस्कें लेजाई गई, बहुतसी तोड़ दी गई और काफी नुक्सान हो रहा है; पर उसकी परवाह किसको है।

बाड़मेर में ३ डी.एल.पी. स्कूलें हैं। वहां की आबादी काफी है, लेकिन स्कूलों में पर्याप्त इन्तजाम नहीं होनेके कारण काफी कष्ट उठाना पड़ता है। वहां के हैडमास्टरों ने शिक्षा विभाग को लिखा कि इस साल काफी लड़के भर्ती होने वाल ह इसलिये या तो अधिक स्कूलों का इन्तजाम किया जाय या क्लासेज और बढाई जायं जिससे आनेवाले विद्यार्थियों को बैठाया जासके। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया यहां तो विधान सभा के सदस्यों की भी सुनवाई नहीं होसकती तो इन मास्टरों की क्या सुनवाई हो सकती है। उनकी अर्जियें तो यहां रद्दी की टोकरी में पड़ी होंगी। नतीजा यह हुआ कि भर्ती के समय लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ीं, मास्टरों की आरजू मिन्नतें करनी पड़ीं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उस समय काला बाजारी भी चली। यदि शिक्षा मंत्री वहां पधारकर जांच करें तो मैं यह सिद्ध करा सकता हूं कि सिर्फ सिफारिशों के जरिये से लड़के भर्ती किये गये और भी क्या क्या बातें हुई होंगी यह मैं नहीं कह सकता। इस प्रकार यहां शिक्षा विभाग का अंधेर है। कम से कम शिक्षा विभाग में अधिक सतर्कता से काम होना चाहिये। जहां के नागरिकों को सुशिक्षित बनाने की सबसे अधिक जरूरत है वहां के शिक्षा विभाग को अधिक

कौंशियस (सतर्क) होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हाउस इस ग्रान्ट को स्वीकार न करें।

श्री भैरूसिंह (केलवा):- अध्यक्ष महोदय! अभी हमारे मंत्रीजी ने कहा कि हममें कोई उत्साह नहीं रहा। आज हमें सदन में आने का रास्ता नहीं मिला। जो लोग लेटे हुए थे उन के सीनों पर पैर रखकर हम नहीं आसकते थे। आपकी तरह से हमें दूसरा रास्ता भी नहीं दिखाया गया था। इसी कारण से आज की बहुतसी कार्यवाही यों ही हो गई; इसके लिये हमें अफशोस है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत कुछ अर्ज करना था, पर दुर्भाग्यवश पहले हाजिर नहीं हो सका। हमारे साथ यह अन्याय ही हुआ कि हमें दूसरा रास्ता नहीं बताया गया ताकि हम यहां आकर कुछ कार्य करते। यही कारण था कि आपको निरुत्साही मानने का मौका मिला।

मैं शिक्षा के विषय में कुछ अर्ज करूंगा। राजस्थान की फाइनेन्शियल रिपोर्ट पढ़ी तो मालूम हुआ कि हमारे यहां रुपये की कमी है और खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सेन्टर से मदद दी जाय, ताकि यहां का खर्चा चलाया जासके। पहले का बजट भी घाटे का पेश किया गया था, तब फिर ये ग्रान्ट्स कैसे मंजूर की जायेंगी इससे तो हमारा कर्जा बढता ही जायगा। पहले से ही हम पर कर्जा है और घाटे का बजट था तब फिर यह क्या तरीका है कि खर्चा और बढ़ा दिया जा रहा है। हमारा खर्च ऐसा होना चाहिये जैसा एक कंजूस आदमी का होता है। एक पैसा भी खर्च होना एक गाड़ी के पहिये के बराबर बड़ा समझा जाय। गरीब राजस्थान का पैसा इस तरह से फिजूल खर्च नहीं होना चाहिये। एक पैसा भी फालतू खर्च हो तो उसे प्राण निकलने के बराबर समझना चाहिये। यह ग्रान्ट तो यह कह कर पास करदी जायगी कि "हां" पक्ष, जीता "ना" पक्ष हारा; क्योंकि बहुमत है। लेकिन यह नीति ठीक नहीं है। बहुत सावधानी, होशियारी और देख-देख कर खर्चा होना चाहिये। आज कल की शिक्षा के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि हमने भी शिक्षा पाई थी और हमारे बाप-दादों ने भी शिक्षा पाई थी। जो किताबें पहले हम लोग पढा करते थे वे बहुत अच्छी हुआ करती थीं और ५, ६ साल बाद बदला करती थीं; पर अब हरसाल किताबें बदली जाती हैं। इनमें क्या गलती होती है इसलिये बदली जाती हैं या और किसी कारण से बदली जाती हैं? मैं नहीं समझ पाया कि किस दृष्टिकोण को लेकर ये हरसाल बदली जाती हैं। क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाता है? यदि इसमें भी पार्टीबंदी का ध्यान रखा जाता है तो यह दुर्भाग्य की बात है। बच्चों के दिमाग को राजनीति और दल बन्दी के ख्यालात से भरना अच्छा नहीं है। उनका दिमग तो इतना खुला होना चाहिये कि हर अच्छी चीज को अपनाने की उन्हें सुविधा (clear reasoning) हो। बच्चों पर १५, १५ किताबों का बोझ लाद दिया जाता है और इतनी किताबों का कोर्स समय पर पूरा भी नहीं हो पाता है और नतीजा यह होता है कि मास्टर लोग कह देते हैं कि तुम खुद इन किताबों को पढ़ लेना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें केवल अपने सहयोगियों को सहायता देने के लिये ही इतनी किताबें रखदी जाती हैं। इनसे शिक्षा का स्टेन्डर्ड ऊंचा उठता हो, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों की और युनिवर्सिटियों की आजकल यह राय है कि शिक्षा का स्तर नीचा

होता जारहा है और दूसरी ओर खर्च दिन ब दिन बढता जारहा है । राजस्थान पहले से भी गरीब देश हैं। इसकी परिस्थितियां देखते हुए अब फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं होने देना चाहिये । जो खर्च हो रहा है वही बहुत ज्यादा है।

अब में बिल्डिंग्ज के विषय में अर्ज करूंगा कि कई बिल्डिंग्ज बनाई जाती हैं उनका निर्णय भी पार्टी पोलीटिक्स से होता है । जहां चुनाव लड़े और आश्वासन देकर आए कि आपके यहां स्कूलें खोलेंगे, वहीं स्कूलें खोली जाती हैं। ऐसा कोई Criterian हमारे सामने नहीं रहता कि यहां स्कूल खोलने के लिहाज से कितनी आबादी है, कितने लड़के हैं, कैसी हालत हैं आदिआदि इस तरह स्कूलें खोली जायंगी तो एक तरह की Rivalry पैदा हो जायगी और लोग यह कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी पॉवर में आये और स्कूलें खोलें।

हमारे उधर एक मास्टर साहब हैं। वे सेलेरी draw करते हैं और उनको किसी स्कूल में पढाने जाने की जरूरत नहीं। आज भी draw करते हैं कि नहीं मालूम नहीं; मेरे यहां आने से पहल draw करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह बद इन्तजामी से फिजूल खर्चा होता है। इसलिए मेरी अर्ज है कि यह demand नामंजूर की जाय। जिस विभाग ने ६ महीने में कोई अच्छा काम करके नहीं बताया है वह अब इस डिमाण्ड से अच्छा काम करके बतायेगा; ऐसी हमें बिल्कुल आशा नहीं है ।

श्री भोपालसिंह (मेड़ता ईस्ट):--मैं शिक्षा विभाग के संबन्ध में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी मेड़ता कांस्टीट्यूएन्सी से आये हैं। वहां पर जाट बोर्डिंग को २५०००) रु० मकान बनाने की मंजूरी दी बताते हैं। किन्तु वहीं पर चारभुजा बोर्डिंग भी बना हुआ है जहां पर ज्यादा लड़के पढ़ते हैं, न तो उसको सालाना एड दी जाती है और न इस तरह की रकम दी गई है। इस तरह की पक्षपात की नीति रहने से बड़ी गड़बड़ी रहेगी; इसलिए यह डिमान्ड पास नहीं की जानी चाहिए ।

श्री गोपीलाल यादवः--शिक्षा विभाग के संबन्ध में बहुत दुःख-पूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनसे आपको यकीन होगा कि हम लोग शिक्षा की तरफ क्या कर रहे हैं ।

अगर ठीक शब्द इस्तेमाल करूं तो आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार के साथ एक fraud कर रहे हैं । वह किस तरह कर रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूं ।

पिछले साल शिक्षा के लिए ढाई करोड़ का बजट राजस्थान में रखा गया । उसके बाद हिदायतें भेजी गई कि खर्चा कम करें । जहां पर फर्नीचर खरीदना था, नहीं खरीदा गया; जहां पर अध्यापक रखने थे नहीं रखे गये। नतीजा यह हुआ कि दो करोड़ रुपया खर्च किया गया और ५०००००) रु. की बचत हुई । यह क्यों हुई इसका उद्देश्य आपके सामने रखना चाहता हूं । Centre ने ढाई करोड़

रुपया शिक्षा के लिए हमें दिया है। जो हम अपने बजट में खर्चा कर रहे हैं उसके अलावा ढाई करोड़ रुपया और खर्च करें और पचास लाख रुपया सालाना पूरे ५ साल तक बढ़ता रहे। हमारा बजट ढाई करोड़ का था, ५० लाख मिला कर ३ करोड़ खर्च करने चाहिए थे शिक्षा पर, और अगले साल इसमें और बढाना था। ३ करोड़ से ऊपर रकम जानी चाहिए थी पर पिछले साल काट कर, २ करोड़ खर्च करके सेंटर को दिखाया गया है कि पिछले साल हमने शिक्षा पर २ करोड़ खर्च किया और अब ढाई करोड़ दे दिये हैं और आप जो ५ साल तक बढ़ाना चाहते ह वह बढ़ा दिया है।

इससे ज्यादा गरीब बच्चों के साथ और अन्याय क्या हो सकता है और Centre के साथ इससे बढ कर Fraud और क्या हो सकता है? ५० लाख रुपया जो बढ़ाना था उसे न बढा कर इस तरह गोलमाल कर दिया गया और इसका नतीजा यह है कि शिक्षा विभाग की हालत खराब है। न स्कूलों में फर्नीचर है, न बिल्डिंग्ज हैं और न पूरे अध्यापक हैं। आप जाकर स्कूलों का निरीक्षण कीजिये; आपको एक क्लास में ९० बच्चे बैठे मिलेंगे। कोई टीचर नहीं समझता कि अमुक बच्चे की हालत कैसी है।

आप इस हॉल में बैठे हुए हैं। आप अभिमान महसूस करते हैं कि एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो सुन्दर है पर स्कूलों में जाइये, बड़ी दुर्दशा मिलेगी। न फर्नीचर है न स्कूल बिल्डिंग हो। बिल्डिंग्ज आदि के लिए लोकल जनता खर्च कर सकती है तो उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अगर उनको कहा जाय कि ४-५ हजार आप दो, ६ हजार हम देंगे तो १० हजार रुपये में एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अगर एक झोंपड़े में भी स्कूल खुली हो तो उसको ऐसे ढंग से बनाया जाय कि जिसमें बैठ कर लड़के महसूस करें कि हम सुन्दर जगह बैठे हैं। कुछ सफाई की ओर भी ध्यान होना चाहिए। पर ऐसी कोई चीज नही हैं। शिक्षा विभाग की तरक्की रोक दी गई है। इस संबन्ध में Centre से जो तय हुआ उसे रोक दिया गया है।

जो यह ४ लाख रुपया बढ़ा रहे हैं, मुझे इसे बढाने में दुःख नहीं है। cut motion पर बोलने का उद्देश्य तो इसकी खामियों पर बोलना है। आपको जो रकम शिक्षा के लिए मिली है उसे शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। इस ५ साल के अर्से में कोई शिक्षा की तरक्की नहीं हुई। Education की यह हालत हो गई कि मैट्रिक पास लड़कों में वह योग्यता नहीं है जो आज से १० साल पहले छठी कक्षा पास लड़कों में होती थी। मैं यह निवेदन करता हूं कि पब्लिक Enterprise को प्रोत्साहित किया जाय।

कानपुर में लोगों ने जानवर रखने बन्द कर दिए थे, तो गवर्नमेन्ट और म्युनिसिपेलिटियों की तरफ से तय किया गया कि जो बकरी-गाय आदि जानवरों को रखेंगे उनको दो या तीन रुपया माहवार दिया जायगा। राजाओं के वक्त में यह था कि जो लड़कों को पढ़ायेंगे उनको वजीफे दिये जायगे, पर आज न वजीफे हैं और न कुछ और।

भरतपुर में ३५००० की आबादी है और पास पड़ोस की २५००० की आबादी है। इस ६०००० की आबादी में एक High School है। आपके पास रेवाड़ी का कस्बा है, ३५००० की आबादी का। उसमें ६-७ High Schools हैं और देहातों में दसों High Schools हैं जो पब्लिक द्वारा चलाए जाते हैं। उनका ८० प्रतिशत खर्चा गवर्नमेन्ट देती है और बाकी पब्लिक देती है। इस तरह वहां स्कूलों की तादाद बढ़ रही है। आप लोग भी ऐसी स्कीमें निकालिये जिससे जनता का उत्साह बढ़े और जनता खर्च करे। आप अपने ऐसे Inspectors रखिये जिनका काम यही नहीं हो कि सिर्फ सालाना स्कूलों में जांच करें, न अध्यापकों का सिर्फ यही काम हो कि पढा दें; बल्कि वे देहातों में जायं और लोगों के दिलों में शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा करें और लोगों को कहें कि ब्याह, शादी, भोज आदि में जो हजारों रुपया खर्च करते हैं, वह शिक्षा पर भी खर्च करें। अगर आप ४ हजार रुपया बचा लेंगे तो सरकार आपको ६ हजार रुपया देगी; इस प्रकार १० हजार रुपयों में आपके यहां स्कूल की बिल्डिंग बन जायगी। आप कुछ काम करें, कुछ कमेटीज बनावें; इस प्रकार से जब तक आप काम नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि राजस्थान जो इतना पिछड़ा हुआ देश रहा है और जितना अब है उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ एक बार फिर मैं दुबारा एक दो शब्द यह कहना चाहता हूं कि महरबानी करके आपका जो २॥ करोड़ का बजट है उसमें ५० लाख और शामिल कीजिये। इससे शिक्षा में लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षा विभाग के ओफीसर बड़े दुःखी हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें; लेकिन उनके पास पैसा नहीं, मास्टर नहीं, फर्निचर नहीं। जब हम उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि आप एम.एल.ए. हैं, अपने मिनिस्टरों से कहिये कि कुछ रुपया हमको दें तो हम कुछ उनको करके दिखावें।

इसलिये मैं यह कहूंगा कि दूसरे फालतू खर्चे जितने हैं उनको बन्द करके कुछ जनता से चन्दा लेकर शिक्षा पर ५ करोड़ रुपया खर्च करें और शिक्षा का बजट को ५ करोड़ का बजट बना दें तो बहुत अच्छा होगा। यही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ):—माननीय अध्यक्ष ! जब हमें सप्लीमेन्टरी ग्रांटस की सूचना मिली तो मैंने यह समझा कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स शायद जनता के हित के लिये सदन के सामने मंजूर करने के लिये पेश हुई हैं; लेकिन जब इसके बारे में देखा पूछा तो यह मालुम हुआ कि यह सारी की सारी ग्रान्ट्स उन मित्रों को प्रसन्न करने के लिये हैं जिन मित्रों ने सत्तारूढ पार्टी को साथ दिया। अध्यक्ष महोदय ! मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इस सिलसिले में एक सेन्सर बोर्ड बिठलाया जावे तो मैं साबित कर सकूंगा कि जितनी संस्थाओं को सहायता दी गई है उनकी सिफारिशें उन लोगों ने की हैं जो या तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में मदद दी है। बाकी जितनी भी संस्थाए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया, जो कांग्रेस विरोधी हैं उनको मदद नहीं दी गई। मदद देना तो दूर की बात हैं मगर मैं यह कहूंगा कि

उनको तंग भी किया और कहीं कहीं मजबूर किया है कि वे उन संस्थाओं को बन्द कर दें। अध्यक्ष महोदय! मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा विभाग का हाल आपके सामने रखता हूं। सीकर में जिस समय नये टीचर्स का एपोइन्टमेन्ट होता है या ट्रांसफरें होती हैं उस वक्त दुर्भाग्य से मैं भी शिक्षा विभाग में चला गया था। उस समय कई टीचर्स ने मुझे कहा कि ओफिस में जो सेक्रेट्री है खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेते हैं और कई दफा उन लोगों की सिफारिश करते है जो कांग्रेस के पक्ष के होते हैं।

माननीय अध्यक्ष! वे सरकारी मुलाजिम होते हुए भी इस प्रकार खुल्लमखुल्ला पक्षपात पूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं। मैं आपका ध्यान फलसन गांव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर सेठ जमनालालजी ने एक स्कूल खोला है। यह स्कूल ५ साल से चल रहा है; बिल्डिंग भी बनी हुई है। इस स्कूल के पास एक आयुर्वेद होस्पिटल भी उन्होंने खोल रखा है। गई साल ग्राम–वासियों ने और टीचर्स ने यह उनसे मांग की कि इसमें स्थान काफी नहीं है इसलिये मकान में Extension किया जावे। उन्होंने स्कूल के मकान को ३ मकान बना कर और एक्स्टेन्ड किया। मगर दुर्भाग्य से उन्होंने इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को मदद नहीं की, उन्होंनें मेरी मदद की और आज उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। वह यह कि उन्होंने जो आयुर्वेद का औषधालय स्कूल के पास खोला था उसको भी बन्द करना पड़ा और किसी तरह से वहां के कांग्रेस वालों ने सत्याग्रह कर के उसको स्कूल के साथ मिला लिया। बहुत से इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति शिक्षा मंत्रीजी के पास गये। उन दिनों शिक्षा मंत्रीजी का भी सीकर का दौरा हुआ। लोग बाग उनके पास गये और उन्होंनें स्टेशन पर ही वगैर मौका देखे व पूरी जानकारी हासिल किये उसी जगह कलक्टर सीकर को इस सम्बंध में ,आदेश दिया। अध्यक्ष महोदय! मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में दांता रामगढ़ व पलसाना की जनता द्वारा कई प्रार्थना पत्र पेश किये गये, भेजें गये मगर उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। इस के बाद जब सेठजी ने मुझ से कहा तो म डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन से मिला। वे बड़े भले आदमी हैं। उन्होंने यह हुक्म दिया कि आयुर्वेदिक औषधालय में कोई दखल नहीं किया जाय। जब सेठजी सीकर पहुंचे और कलेक्टर साहब से मिले, उस समय कलेक्टर, जिनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे कलेक्टर निष्पक्ष नहीं हैं वे सरकारी पक्ष की ओर से चाहे जैसा ओर्डर दिया जावे उसके जरिये से दूसरी पार्टी को परेशान कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। कलेक्टर ने सीधा यही कहा कि यह मामला मेरे पास है। डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन का यह कहना कि इसमें कोई दखल न किया जाए यह वाजिब नहीं, मैं जैसा होगा, निपट लूंगा।

माननीय अध्यक्ष! यह जान कर हमें बड़ा दुःख होता है कि जो लोग स्कूल बना कर धन देकर जनता की सेवा करना चाहते हैं उनको पार्टी यानी दलबन्दी के दल–दल में फँसा कर तंग किया जाता है और जनता की सेवा से वंचित रखा जाता है।

अब अध्यक्ष महोदय! मैं आपको स्कूलों के Education के स्टेन्डर्ड के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करूंगा। स्कूलों में text books के सम्बन्ध में मेरे माननीय

मित्र श्री एच के. व्यास ने काफी कहा है; लेकिन में यह अर्ज करूंगा कि एक आठवीं कक्षा में फैल हुआ लड़का स्कूल छोड कर दूसरी साल पंजाब मैट्रिक का इम्तिहान दे देता ह और पास होकर कालेज में चला जाता है। दूसरी ओर स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के ८, ९, १० वीं कक्षाएं पास करके तीन साल में कौलेज में जाते हैं । वहां दोनों एक साथ पढते हैं । फर्स्ट इयर में दोनों एक साथ पढ़ते हैं और दोनों पास हो जाते हैं । तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि वह लड़का जो तीन साल बरबाद करके कौलेज में जाता है और दूसरा वह लड़का जो प्राइवेट एक साल में ही मैट्रिक पास कर लेता है; इससे यह साफ जाहिर होता है कि स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती और स्कूलों में पढ़ाई का स्टेन्डर्ड काफी गिरा हुआ है । अध्यक्ष महोदय ! स्कूलों में ऐसी भाषा भी पढ़ाई जाती है जिससे ऐसे तत्व पदा होते हैं; जिससे भारत के प्रति गद्दारी पैदा होती है, घृणा पैदा कराने की कोशिश की जाती है और जिस कारण से भारत के टुकड़े हुए हैं आज हजारों लाखों हिन्दू इस बात से कराह रहे हैं कि यदि इस प्रकार की भाषा को प्रोत्साहन नहीं मिलता तो हमारी यह दुर्दशा नहीं होती और आज यह दिन देखने को नहीं मिलता जो आज भी देखना पड़ रहा है और जिसका परिणाम आज भी बंगाल वालों को भुगतना पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय ! यहां की जिस भाषा उर्दू ने भारत के टुकड़े करवाये, उस प्रकार की भाषा को वे ही आदमी पढ़े हुए हैं जिनका पाकिस्तान फोर्मेशन से डाइरेक्ट कन्सर्न था । यदि वे आदमी अपने जीवन को देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने हिन्दुस्तान के प्रति जो फर्ज था उसको न करके हिन्दुस्तान के खिलाफ काम किया । इसलिये में यह चाहता हूं कि यह भाषा यहां नहीं पढ़ाई जानी चाहिये ।

श्री मुथरादास माथुर:–On a point of Order, Sir. Is the Hon'ble Member allowed to pass such remarks against a member who is not present in the House, remarks which incite Communal hatred?

श्री भैंरूसिंह:–अध्यक्ष महोदय ! अभी मेरे मित्र ने यह कहा कि वे सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य उनको जानते है और में उनसे निवेदन करूंगा कि वे उनके नाम बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर:–Sir, I again repeat that the charges are against a Member who is absent. Is the Member allowed to utter such words? इस तरह का आरोप लगाना वाजिब नहीं ।

श्री भैंरूसिंह:–क्या माननीय सदस्य उनके नाम बतावेंगे ?

श्री अध्यक्ष:–यदि आप किसी सदस्य के बारे में कहना चाहते हैं तो आप उस कोन्सटीटयुएन्सी का नाम लें जिसके कि वे सदस्य हैं ।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़):–में नाम लूं या वह सदस्य जिन्होंने कि एतराज किया है वह नाम लेंगे । अध्यक्ष महोदय, यदि यह जानना ही चाहेंगे तो में उन सदस्यों के नाम बताने को तैयार हूं । एक मेम्बर को तो में जानता

हूं । वह सदस्य जयपुर के रामगंज के बाजार से आये हैं, दूसरे सदस्य शायद भरतपुर से आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह वह भाषा है; जिस भाषा के अन्दर हमारे 'राम' को 'बादशाह राम' कहा जाता है, यह भाषा वह है जिसमें 'महारानी सीताजी' को 'बेगम सीता' कहा जाता है । अध्यक्ष महोदय, यदि आज भारतवर्ष में' हिन्दी भाषा के साथ कोई प्रेम नहीं होता तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 'पूजनीय गांधीजी,' 'श्रद्धेय गांधीजी' के बजाय 'हाफिज गांधीजी' और 'हाजी गांधीजी' लगाया जाता है । लेकिन यह हमारी हिन्दी भाषा का सौभाग्य है कि उसके अन्दर हम इतने प्रिय शब्दों का उपयोग कर रहे हैं । क्या सरकार यह चाहती है कि हम इतने प्रिय शब्दों का उपयोग न करके हम 'पूजनीय बापूजी' के बजाय 'हाफिज बापूजी' कहें . . . . .

श्री एच. के. व्यास:- On a point of Order, Sir. My Hon'ble friend raised the point whether in a secular State such speeches inciting communal hatred are permissible and whether you will permit such speeches in this House ?

You have not given any ruling, Sir.

श्री मोहम्मद इब्राहीम:- अध्यक्ष महोदय, मेम्बर महोदय जो कुछ फरमा रहे हैं यह मेरे खयाल से हाउस के मुनासिब भी नहीं है और ऐसी बात हाउस सुनना भी नहीं चाहता । यह हाउस जिस दिन से शुरू हुआ है इसमें बहुत अच्छी फिजां थी, और बहुत अच्छा दोनों ही तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी और यह पार्टी तो सैकूलरिजम की मुद्दी है और इस चीज पर बराबर अमल कर ही रही है और यही वजह है कि इस मुल्क के अन्दर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे लीडर पैदा हुए हैं । उन्होंने इस मुल्क की तवारीख को शानदार और रोशन करने के लिए दुनिया में चार चांद लगा दिये हैं । सारी दुनिया इस मुल्क को इस नाम से जानती है कि' वह महात्मा गांधी और नेहरू का मुल्क है ।

श्री अध्यक्ष:-ऑर्डर, ऑर्डर ! आप लेक्चर दे रहे हैं क्या ? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ज्यादा इमोशनल हो गये और वह शायद भूल गये, उन्हें याद नहीं रहा कि वह किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस नहीं कर रहे हैं ।

श्री भैरूसिंह (दाता रामगढ़):—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना था कि भाषा का संबन्ध राष्ट्र से है । राष्ट्रभाषा हिन्दी है, और राष्ट्रभाषा की उपयोगिता को सदन के समक्ष वर्णन करने के संबंध में मैंने यह आवश्यक चीजें कही ।

इस संबन्ध में मैं केवल एक चीज और अर्ज करूंगा कि आजकल जितने भी स्कूल हैं उनमें चरित्र निर्माण के संबन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। थोड़ी ही दूर पर यहां एक सरकारी महाराजाज हाई स्कूल, जयपुर में है

वहां २, ३ कोठड़ियां हैं । उन कोठड़ियों में गांजा, भंग, और अफीम की दूकानें कर रखी हैं । अध्यक्ष महोदय ! आज सारे सदन के समक्ष मंत्री महोदय का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि जहां आज चरित्र निर्माण की शिक्षा इस समय दी जाती है वहां गांजा, भंग और अफीम के ठेके की दूकानें नहीं रखनी चाहिए। वे बच्चों के चरित्र पर कितना असर कर सकती है ? अध्यक्ष महोदय ! इस संबन्ध में एक दफा नहीं, बीस दफा माननीय शिक्षा मंत्रीजी और डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन से जनता का डेपूटोशन मिला और इस डेपूटेशन को सिवाय आश्वासन देने के सिवाय कुछ नहीं किया। इस मामूली से काम को, इन दो दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता पर ऐसा नहीं किये गया, नहीं किया जा रहा है और न गवर्नमेन्ट इस बात के लिए तैयार है। मुझे बड़ा दुःख है कि यदि सरकार जो इस तरह ठेकेदारी करती है यदि उस ठेकेदारी में और भी चीजें जारी रहीं तो बच्चों के चरित्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी स्वयं अपने भाषण में इस बात की घोषणा करेंगे कि महाराजा हाई स्कूल में ठेके की जो भांग, गांजे और अफीम की दुकानें चल रही है वे शीघ्रातिशीघ्र बन्द करदी जायंगी । इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर:—माननीय अध्यक्ष ! विरोधी दल के इतने साथियों ने जो यहां पर भाषण दिये, उनमें से एक साथी को छोड़ कर सभी साथियों से एक ही ध्वनि निकली कि शिक्षा विभाग में जो कुछ होता है, जो कुछ शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कदम उठाये जाते हैं वह किसी विशेष पार्टी को मदद करने के लिए किये जाते हैं । यों तो इस सदन में एक दफा नहीं कई दफा इस बात को दौहराया गया है । विरोधी दल के सभी साथियों की उनकी एक आदत सी पड़ गई है कि हर बात में इस बात को दौहराये; जिसमें वे इस बात को जाहिर करें कि चुनाव के लिए या पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाये जाते हैं । मैं आपके सामने, माननीय अध्यक्ष ! यह पेश करना चाहता हूं कि यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड ४ लाख रुपये की इस सदन के समक्ष पेश की गई है वह चार कारणों से की गई है । वह इसलिए की गई हैं कि सदन की तरफ से जब बजट पर बहस हुई थी, और उसके बाद में भी सदन के कई सदस्यों ने इस बात को जाहिर किया है कि शिक्षा प्रचार के लिए नये स्कूलों और जो पुराने स्कूल हैं उनको कॉलेजों में तबदील किया जाय । ऐसी मांग शिक्षा मंत्री के पास में पेश हुई है । चूंकि बजट में कोई ऐसी रकम नहीं थी जिससे कि नये स्कूलों या जो पुराने स्कूल हैं उनको कॉलेजों में तबदील किया जाय, इसलिए शिक्षा मंत्रीजी की ओर से यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड पेश हुई है । उसके साथ साथ हमारे यहां पर कई ऐसी प्राईवेट संस्थाएं थीं, जैसे, बिरला ट्रस्ट, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी शिक्षा मन्डल, जो यहां पर अलग अलग शिक्षण संस्थाएं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहीं थीं, उन्होंने अपना यह निर्णय कर लिया है कि अब वे अपने स्कूल जातीयतौर से नहीं चला सकेंगे । इसलिए या तो वे स्कूल बन्द होंगे या सरकार को लेना पड़ेगा । जिन क्षेत्रों में स्कूलों की कमी थी उन क्षेत्रों की स्कूलों को लेने का निर्णय या फैसला सरकार ने किया है । इसलिए उन स्कूलों को चलाने के

लिए और रकम की आवश्यकता महसूस हुई । इसलिए यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड आपके सामने पेश हुई है ।

इसके साथ साथ आपको यह मालूम है कि हर साल विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जिससे हमें नये नये टीचर्स और प्रोफेसर्स रखने पड़ते हैं । उसके साथ साथ कई विषय स्कूलों और कॉलेजों में नये डालने पड़ते हैं, क्योंकि यह मांग विद्यार्थियों की तरफ से आती है; इसलिए उनको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है जो कि पिछले बजट में नहीं रखा गया था । इसलिए ४ लाख की सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड सदन के सामने पेश की गई है ।

मुझे इस बात का दुःख है कि एक माननीय सदस्य ने इस सदन में अपना भाषण देते हुए यह कहा कि जो स्कूलें खोली जा रही हैं, जो कॉलेजेज खोले जा रहे हैं वे उन्हीं इलाकों में खोले जाते हैं जहां कि चुनाव के दिनों में या उसके बाद में मंत्री महोदय या उनकी पार्टी के लोगों ने वायदे किये हैं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक जिन्दा मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अभी शिक्षा विभाग ने इस सदन के बनने के बाद में पुराने बजट में, जो मूल बजट था उसके पेश करने के बाद में दो इन्टरमीजियेट कॉलेज खोलने की आज्ञा दी है, एक सिरोही में और एक टोंक में । मैं यह पूछना चाहता हूं इस सदन में बैठने वाले विरोधी दल के सभी सदस्यों से कि सिरोही इलाके के अन्दर से जो ३ सदस्य इस सदन में आये हैं उनमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो इस दल का है, या कांग्रेस पार्टी का है । क्या सिरोही में इन्टरमीजियेट कॉलेज इसलिए खोला गया, क्या वह इन्टरमीजियेट कॉलेज इसलिए कायम किया गया है कि इस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाय । एक कॉलेज टोंक में खोला गया है । कॉलेज जब खोले जाते हैं, नई शिक्षण संस्थाएं जब कायम की जाती हैं तो उस वक्त वहां की मांग को देखा जाता है । जब कॉलेज आदि खोले जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां कितने विद्यार्थी हैं, यह कितनी आबादी को फायदा पहुंचाने वाला है, और बाद में इन्स्पेक्टर सिफारिश करता है; जो उसके कानून कायदे बने हुए हैं उन सब को देखते हुए कॉलेज खोले जाते हैं । सिरोही में जो इन्टर कॉलेज खोला गया है क्या उसके बारे में जो सदस्य यह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, जिस इलाके से आये हैं उन्हीं इलाकों में खोला जाता है । आपको पता होगा कि सिरोही के इलाकों से तीनों गैर कांग्रेसी आये हैं, तीनों विरोधी दल के मेम्बर हैं; इससे यह नहीं समझा जा सकता कि वहां पर कॉलेज कायम किया जा रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए । जब कभी विरोधी पक्ष कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे सोच विचार कर आरोप लगाना चाहिये । आरोप लगाये जायं तो किसी गलती को सुधार करने के लिये हों, गलती को सुधार करने की भावना से आरोप लगाये जाने चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि टोंक में कॉलेज खोला गया है; इसके लिए वहां की जनता की बड़ी मांग थी । पहले साल भी मांग की गई थी । इन सब बातों को मद्देनजर

रखते हुए यह सब किया गया है । इसके अलावा सरकार ने, जो बिड़ला ट्रस्ट की स्कूलें थी या शिक्षण मंडल की स्कूलें थीं जिनको ट्रस्ट ने बन्द कर दिया है उनको अपने हाथ में लेने का फैसला किया । यह फैसला इसलिये किया है कि ये संस्थाएं वहां बहुत अर्से से चल रही थीं । वे आज यदि बन्द हो जाती हैं तो सैकड़ों विद्यार्थियों को नुकसान होगा और शिक्षा के प्रसार में कमी होगी । मैं आपसे दो तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूं वे यह हैं कि यह कहा गया है कि सरकार शिक्षा देने में, शिक्षा के प्रसार में मुनाफाखोरी करती है । खास तौर से रात्रि पाठशालाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । रात्रि पाठशालाओं में सरकार मुनाफाखोरी करती है; जो फीस ली जाती है वह ज्यादा ली जाती है और वह सरकार के खजाने में जमा रहती है । इस तरह का आरोप सदन में आज पेश हुआ है । माननीय सदस्यों को इत्तला करना चाहता हूं कि सरकार की कभी भी यह नीति नहीं रही है कि सरकार ज्यादा फीस लगा कर किसी भी तरह की मुनाफाखोरी करे । इस विषय में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां रात्रि कक्षाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है । हिन्दुस्तान के किसी भी कस्बे में रात्रि पाठशालायें नहीं चलती हैं । हमने यह इसलिये किया कि हमारा प्रान्त शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है; इसलिये पिछड़े हुए प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को पढ़ने के लिये अवसर दिया जाय इसलिये रात्रि पाठशालायें चलायी गयीं । और जो विद्यार्थी दो तीन सालों से फैल होते आ रहे हैं जिनको स्कूलों में भर्ती नहीं किया जाता है, उनको स्कूलों में भर्ती नहीं होने से उनकी जिन्दगी खराब न हो इसलिये उनको भी रात्रि पाठशालाओं में पढ़ने का अवसर दिया गया है । रात्रि पाठशालाओं में पढने वालों से दिन में पढ़ने वालों से एक रुपया या दो रुपया ज्यादा लिया गया है । जहां दिन में पढ़ने वालों से पांच लिये जाते हैं वहां रात्रि में पढने वालों से ६) रु० ८ आना या ६) रु० १० आना लिये जाते हैं । जब रात्रि कक्षायें शुरू की गई तो यह साफ बतला दिया गया था कि रात्रि में जो स्टाफ आता है उसको एलाउन्स देना पड़ता है, रात्रि को आने वाले चपरासी को एलाउन्स दिया जाता है, रात्रि में बिजली आदि जलती है उसके पैसे भी वसूल किये जाते हैं । एक्स्ट्रा फरनीचर आदि रखना पड़ता है, लाइब्रेरी खुली रखनी पड़ती है इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यह फीस रखी गई है । उन लोगों को, जो रात्रि कक्षाओं से लाभ उठा कर आज बी० ए०, एम० ए० आदि हो गये हैं उनको कभी स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि वे बी० ए० या एम० ए० हो जायेंगे, लॉ ग्रेजूएटस हो जायेंगे । यह राजस्थान सरकार ने पहला कदम उन लोगों को ऊंची शिक्षा देने का उठाया है । विद्यार्थियों को तो इसमें कोई एतराज नहीं है उनको तो इस प्रकार अपनी योग्यता बढ़ाने का स्वर्ण अवसर मिला है । इसके लिये राजनैतिक कारणों को सामने रख कर एतराज उठाया गया है ।

श्री एच० के० व्यास:—मेरा प्रश्न है जो पैसे वसूल हुए हैं उनका क्या हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुरः-(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो पैसा वसूल हुआ है उसमें से कुछ भी बचा नहीं है । यदि १००) १५०) रुपया बचा भी होगा तो वह खजाने में नहीं रखा गया है । वह रुपया लाइब्रेरी आदि के एक्स्टेन्शन में लगाया जा सकता है । इससे मुझे आशा है उनको सन्तोष होगा और राजस्थान सरकार पर जो आरोप लगाया जाता है वह आरोप दूर हो जायगा । इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि स्कूलों में अध्यापक देरी से पहुंचते हैं, पढ़ाई में व बच्चों के विकास में हर्ज होता है । मैं इसको कुछ हद तक ठीक समझता हूं । बात यह है कि जब किसी स्कूल या कॉलेज के लिए किसी अध्यापक या प्रोफेसर की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया जाता है कि फलां विषय का अध्यापक या प्रोफेसर चाहिये । पब्लिक सर्विस कमीशन अर्जियां आमन्त्रित करती है । वह एक आजाद संस्था है । उसी के फैसले पर जगहें भरी जाती हैं । कई दफा उनको भी मुश्किलें होती हैं, योग्य अध्यापक या प्रोफेसर प्राप्त करने में; क्योंकि विज्ञान को ही लीजिये; इसके लिये पूरा योग्य आदमी हमारे राजस्थान में नहीं मिलता है। यदि बाहर से कोई आदमी आता है तो वह ज्यादा वेतन मांगता है, वह हम दे नहीं सकते । इसलिये जगह खाली रह जाती है । इस तरह की सरकार की तकलीफ को भी मद्देनजर रखना चाहिये । इसके साथ साथ में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सरदार शहर के लिये काफी तूफान उठाया गया है। इसके लिए यह कहना चाहता हूं कि सरदार शहर कालेज एक साल पहले कायम हुआ था ।

श्री एच. के. व्यासः-Is the Hon'ble member replying on behalf of the Government ?

श्री मथुरादास माथुरः-मैं इस बात को महसूस करता हूं; मेरा कुछ अर्से तक इस विभाग से संबन्ध रहा है और मैं सरकारी पक्ष का सदस्य हूं; इसलिये अर्ज कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्षः—You shortly finish it.

श्री मथुरादास माथुरः-मेरे कहने के बाद शायद शिक्षा मंत्रीजी को कम समय लेना पड़ेगा; सलिए उनका कुछ समय मैं लेलूं तो हर्ज नहीं होगा ।

सरदार शहर के कालेज के संबन्ध में जो कहा गया उसके संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कालेज एक साल पहले ही कायम हुआ है और जुलाई महीने में मांग रखी गई थी कि कालेज कायम किया जाय । इस संबन्ध में युनिवर्सिटी से आज्ञा लेनी थी । आज्ञा ली गई और इन्स्पेक्टर्स को वहां शीघ्र ही भेजा गया । अगस्त महीने में नया कालेज बन सका । यदि अगस्त महीने में कालेज बने और सितम्बर और अक्टूबर में अध्यापक या प्रिन्सिपल वहां पहुंचे तो मैं इसे देरी नहीं समझता । आज यदि नई संस्था कायम करें तो उसे चलाने में भी समय लगता है । तो यह माना जाना चाहिए कि उस संबन्ध में कोई देरी नहीं हुई । वहां अध्यापक पहुंचे और शिक्षण संस्था चली ।

इसके साथ साथ सदन में माननीय अध्यक्ष ! कुछ सदस्यों ने भाषा के नाम पर, उर्दू के नाम पर साम्प्रदायिकता को....

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–अध्यक्ष महोदय ! क्या आपने समय की पाबन्दी इन महानुभाव से हटा दी है ?

श्री मथुरादास माथुर:–जो उर्दू के नाम पर, भाषा के नाम पर साम्प्रदायिकता की बू......

श्री भैरुसिंह:–क्या माननीय सदस्य साम्प्रदायिकता की तारीफ बता सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर:–जो शब्द कहे गये हैं वे किसी भी माननीय सदस्य के लिए शोभा नहीं देते। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा न करके माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस तरह का गन्दा वातावरण इस सदन में पैदा न करें।

मैं एक दो लफ्जों के साथ आगे कहूंगा कि जो सदन के उस ओर के सदस्यों ने कहा कि शिक्षा पर ठीक तरह से खर्च नहीं किया जा रहा है, हम शिक्षा पर २॥ करोड़ रुपया खर्च करते हैं और वह बजट का १५ परसेन्ट होता है। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्त जिनकी आर्थिक स्थिति हम से अच्छी है, वे भी हमारे प्रान्त के मुकाबले में शिक्षा पर कम खर्च करते हैं जब कि हमारा बजट घाटे का है। यहां की आबादी और हालत को देखते हुए शिक्षा पर कम खर्चा नहीं हो रहा है। अतः जो बातें कही गई हैं, वे निराधार हैं।

श्री अध्यक्ष:–श्री कानसिंह।

श्री कानसिंह:–अध्यक्ष महोदय ! मैं थोड़े से समय में कुछ विचार प्रगट करना चाहता हूं। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य ने साम्प्रदायिकता की बात का हवाला दिया। उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से ऐसी कोई भावना नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी ओर से, साम्प्रदायिक भावना फैलाई जाती हो। महज इशारा हमारी तरफ से बोलने वालों का भाषा की निस्बत था। उस भाषा के बोलने वाले इतनी थोड़ी तादाद में हैं और फिर भी उस भाषा के लिए इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है, इतनी थोड़ी तादाद के उस भाषा के बोलने वालों पर इतना ध्यान दिया जाता है, वह किसी वस्तु–स्थिति के लिहाज से ठीक नहीं है। यदि यह रुपया राजस्थान में रहने वाले और राजस्थानी भाषा को बोलने वालों के लिए खर्च किया जाता तो उन रुपयों का ज्यादा अच्छा उपयोग होता। हिन्दी जब हमारी राष्ट्र–भाषा हो चुकी है, सदन से कानून भी पास कर दिया गया है, कि उसकी उन्नति की जाय, किन्तु जो हमारे प्रान्त की छोटी २ भाषाएं हैं, और जो इस प्रान्त में बोली जाती हैं उन भाषाओं के प्रचार के लिए तो विचार नहीं किया जाता और इस भाषा पर इतना रुपया खर्च करना निरर्थक है। यही हमारी तरफ का तात्पर्य था; वरना साम्प्रदायिकता की तो कोई बात ही नहीं थी।

मेरे पूर्व वक्ता ने सिरोही और टोंक का हवाला दिया है और यह भी कहा कि सरकार पर आरोप झूठे लगाये जाते हैं। मैं आपके सामने कोई विरोध की बात नहीं कह रहा हूं। पिछले सेशन में जितनी बातें कट मोशन्स में वक्तन फवक्तन कही जा सकीं, कही गई थीं और चूंकि हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिये फिर कहना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे सुझावों पर सरकार अमल करे, किन्तु जब अमल नहीं किया जाता है तो हमने इस सेशन के अन्दर इस ओर बड़ी सावधानी बरती है और जहां तक हो सकता था हमने यह सावधानी ली है कि हमारी तरफ से थोड़े से थोड़े कट मोशन रखे जावें। लेकिन श्री एच.के. व्यासजी ने कुछ कट मोशन्स रख दिये हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे पर झूठे आरोप लगाये जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से बहुत सावधानी ली गई है कि सरकार का काम जल्दी से जल्दी हो और वह जल्दी से जल्दी निकल जाया करे। अभी थोड़े दिन पहले एक अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में आपने दस दिन हाउस के नष्ट कर दिये, हजारों रुपयों का खर्चा दस दिन में उस वजह से यों ही लगा। हमने कोई इस तरह का कट मोशन इस सेशन में नहीं रखा है। अविश्वास के प्रस्ताव में दस दिन यों ही निकले और पब्लिक का हजारों रुपयों फालतू खर्च हुआ। अब म यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव हम रखते हैं और यदि वे सही हैं तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। फिर भी सरकार झूठे ही मानती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबन्ध में एक इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की जाय, एजुकेशन क्या, फेमिन क्या, सभी विभागों के लिए जांच कमेटी मुकर्रर की जाय। वह यह पता लगावे कि जहां जहां कांग्रेस चुनावों में कामयाब हुई वहां हर एक मांगों (demands) के सीगे में कितना कितना खर्चा किया गया है, और जहां कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है वहां वहां उन उन सीगों में कितना खर्चा किया गया है? निष्पक्ष इन्क्वायरी से आपको साबित हो जायगा कि हमारे आरोप सच्चे हैं या झूठे है। यदि आप इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते ह तो आप यह समझिये कि आप सामने नहीं आना चाहते और इसका तो कोई इलाज भी नहीं।

अभी मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में दस दिन की मोहलत लेकर इस सदन का बेकार समय नष्ट किया गया और आरोप जो वाजिब हैं उन्हें भी झूठा कह कर टालने का प्रयत्न किया जाता है; सुझावों को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता। मैं आपके सामने एक वास्तविक Concrete सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह है। बीकानेर डूंगर कालेज का छात्रावास छोटा है, उसमें एडीक्वेट फेसीलिटीज (adequate facilities) नहीं हैं। ऐसे काफी छात्र हैं जो होस्टल में रहना पसन्द करते व चाहते हैं। अगर चार लाख रुपया शिक्षा के मद में मांगा जाता है तो छात्रों की तकलीफों को दूर करने की यदि सोची जाय तो मेहरबानी होगी। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा मालूम होता है कि जयपुर के महाराजा कालेज के छात्रों की भी वही शिकायत है। एम. ए. के छात्रों को होस्टल में रखने की सुविधा नहीं है। उन्हें होस्टल के बाहर शहर में रहना पड़ता है। अतः सरकार की ओर से इस बात का इन्तजाम शीघ्र होना चाहिए।

दीगर मुश्किलात पर मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं । जब फाइव इयर पलान (Five years plan) में केन्द्र से हमें ५० लाख रुपये मिलने वाले हैं तो यदि हम उनका अच्छी तरह से सदुपयोग करें तो बहुत कुछ कठिनाइयां हल हो सकती हैं ।

इसके अलावा मैं सदन से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बीकानेर में डूंगर कालेज के छात्रों के लिए खेलने का एक ही फुटबाल फील्ड है । मिनिस्टर लोग जाते हैं किन्तु देखकर यों ही चले आते हैं । उनकी शिकायतों को सुन लिया जाता है, किन्तु दूर नहीं किया जाता । फुटबाल फील्ड की हालत इतनी खराब है कि उसमें कोई खेल नहीं सकता । उसमें दौड़ने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं । सरकारी पक्ष की बेन्चों पर बैठने वालों में शायद स्पोर्ट्समेन (Sportman) न होने की वजह से उन्हें इस बात की कदर नहीं ।

श्री मोतीराम:—हैं । बहुत हैं ।

श्री कानसिंह:—इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मौका पाते ही झूठा दावा करने के लिए आगे आ जाते हैं, जब कि वास्तव में एक भी ऐसा नहीं है । वह फील्ड (खेलने का मैदान) रेगुलेशन्स के माफिक नहीं है, जैसा कि होना चाहिए । लड़कों से खेल की फीस ली जाती है । अतः लड़कों को फुटबाल व हॉकी खेलने के लिए अलग अच्छे मैदानों का इन्तजाम होना चाहिये और जो है उसको भी साफ कराने का सरकार का काम है । यदि आप माकूल (एडीक्वेट) इन्तजाम नहीं कर सकते हैं तो फीस न लें । मैं दो तीन दिन पहले महाराजा कालेज में गया था और वहां भी मैंने यही शिकायत सुनी । यदि हम कोई बात सुझाव के रूप में कहते हैं तो कहा जाता है कि वह झूठे आरोप हैं और आरोप कह कर टाल दिये जाते हैं । मारवाड़ी में एक कहावत है कि "भेंस के सामने वीण बजावो तो भेंस बैठी पगुरावे ।"

इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बात को यह कह कर नहीं टाल दिया जायगा कि बड़ा झूठा आरोप लगाया जारहा है । मैं जिस जगह से चुन कर आया हूं (नोखा से) वहां एक लाख की आबादी पर एक हाई स्कूल है; लेकिन उस बिल्डिंग की कोई कंपाउन्ड वाल नहीं । इसलिये मन्डी निवासी स्कूल के सामने ही जंगल जाते हैं । एक तरफ तो छात्र क्लासों में पढ़ते हैं और मास्टर पढ़ाते हैं और सड़क के दूसरी ओर मन्डी निवासी उनके सामने जंगल बैठते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है; कितनी भद्दी बात है ।

मैं तो नोखा को स्कूल के बारे में कह रहा हूं । एक लाख की आबादी पर वहां एक हाई स्कूल है जो नई बनी है । उसके कंपाउन्डवाल न होने से शहर के लोग वहां जंगल जाते हैं और भद्दा मालूम होता है इसलिये वहां कंपाउन्ड वाल होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त वहां पर बच्चों के खेलने के मैदान का कोई प्रबन्ध नहीं है । पास में बहुत जमीन पड़ी है । उस जमीन को, लड़कों के खेलने के लिए सरकार को यों ही दे देनी चाहिए । लड़कों पर अगर कुछ फीस भी लगानी पड़े तोभी उनके लिये खेलने के मैदान की व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिये ।

श्री मानसिंहः--हमें नहीं बोलने दिया जाता है, यह हमारे प्रति अन्याय है ।

श्री अध्यक्षः--इस डिमान्ड पर सवा घंटे से वादविवाद चल रहा है। आपको और कई मौके बोलने के लिये मिलेंगे । एप्रोप्रियेशन बिल आदि पर भी बोल सकेंगे। यह मेरे लिये जरूरी नहीं है कि सभी को बोलने का मौका दूं ।

And now it is not possible for me to allow every member to speak. You will have an opportunity when the Appropriation Bill and other cut motions will come.

श्री मानसिंहः--यह अन्याय है ।

श्री अध्यक्षः--ऑर्डर ! ऑर्डर।

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ-मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, इस कट मोशन पर सदन में काफी वहस हुई और माननीय सदस्यों ने कहीं किन्हीं खास खास पोइन्टस पर एतराज किया है उनके संबंध में मैं आपके जरिये इस हाउस के सामने कुछ कहना चाहता हूं ।

पहली बात टेक्स्ट-बुक्स के मुताल्लिक इस सदन में माननीय सदस्यों ने कही है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राजस्थान के वर्तमान मंत्री मंडल के समय में ऐसा नहीं हुआ है। जब से राजस्थान बना है तब से यह चीज हुई, ऐसा कहा गया है। यह सवाल कई बार सदन के सामने आया और मैंने पहले भी सरकार की नीति को आपके सामने रखा है। मैंने लगातार यह बात कही है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि टेक्स्ट बुक्स में भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो । ये किताबें युनीफाइड सिलेबस के मुताबिक होती हैं। अच्छी किताबें लिखने का समय मिले इसलिये इस साल से लागू नहीं की गई है। अगले साल से लागू करने से पहले ही यह निश्चय किया गया है कि तादाद किताबों को घटाकर कम करदी जाय। इन किताबों की रीजनेबल प्राइसेज होगी। सरकार की तरफ से यह भी आयोजन किया जारहा है कि सरकार की तरफ से नमूने के तौर पर कुछ किताबें निकाली जायं जिनकी कीमत कम से कम हो और अच्छी किताबें हों; जिनकी नकल पब्लिशर्स भी करें। सदन के सामने कई बातों को गलत शिकायतें की गई हैं। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मौजूदा सरकार की जो नीति टेक्स्ट बुक्स के संबंध में है उससे हाउस का संतोष होना चाहिये ।

यह कहा गया कि अखबारों की मंजूरी पक्षपात पूर्ण तरीके से की जारही है। इस संबंध में यह अर्ज करूंगा कि कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स नही दिया गया है। फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि सरकार के सामने कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसमें पक्षपात किया गया है। सरदारशहर की स्कूल के टीचर्स के बारे में यह कहा गया कि पहले जुलाई में बदली की गई, फिर अगस्त में और फिर सितम्बर में बदली करदी गई; इस साल भी दो मास्टरों की बदली करदी गई । मास्टरों की बदली हर साल हुआ करती है। इस साल भी वहां के मास्टरों की बदली करदी

गई और अच्छे आदमी रिप्लेस नहीं किये जासके क्योंकि अच्छे साइन्स टीचर्स की कमी है। बावजूद सारी कोशिश के भी अच्छे आदमी नहीं मिल सके । मैं और शिक्षा विभाग अच्छे आदमियों की तलाश में हैं। २५ हजार का अमला इस महकमे में है। फिर भी कई स्थानों पर टीचर्स की कमी रह ही जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर तरह से इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े और मैं आशा करता हूं कि यदि आपने धैर्य रखा तो कामयाबी हो ही जायगी।

रात्रि पाठशालाओं के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। इसकी रेवन्यू विशेष नहीं है; फिर भी खर्च के अतिरिक्त इससे बचत है। वह रकम जनरल रेवन्यू में नहीं ली जाती। इस रकम को एक तरफ रखा गया है और जिन्होंने विशेष विधाएं लाइब्रेरी आदि की चाहीं उनको इससे सहायता दी गई है । इस रकम को जनरल रेवेन्यू में लेने की सरकार की कोई मन्शा नहीं है। रात्रि कक्षाओं से लोगों को विशेष सुविधा होती है। नौकरी करने वाले लोग या जो दिन में कुछ दूसरा काम करते हैं वे आराम से रात्रि में पढ सकते हैं। सरकार ने उदारता पूर्वक ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसमें वे सुविधाएं नहीं जो दिन की क्लासेज में हैं और फीस भी अधिक ली जाती है; फिर भी छात्रों को इससे फायदा ही हुआ है।

इसके अलावा और भी कई बातें कही गई हैं। घासीराम बास की स्कूल के बारे में जो कुछ कहा गया है पूरी जानकारी नहीं रखते कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि वह स्कूल सरकार के कंट्रोल से नहीं हटाई गई है। उसकी एक दो क्लासेज को लड़कों की कमी के कारण रिकोगनाइज नहीं किया गया था। अब वे क्लासेज सरकार के कंट्रोल में लेली गई हैं। यह कहना कि इस स्कूल को राजनीति के कारण कंट्रोल में नहीं लिया गया, ठीक नहीं है।

बाड़मेर के एक सदस्य महोदय ने बाड़मेर की स्कूल के बारे में शिकायत की थी। यह बात उन्होंने एक बार पहले भी कही थी और मैंने उसका जवाब भी दिया था। वास्तव में जहां पर ज्यादा बच्चे हैं वहां पर उनके बैठने की तकलीफ है, बिल्डिंग्ज की तकलीफ है, सामान की कमी है; लेकिन यदि नागरिकों और सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा तो सरकार की तरफ से भी हर तरह से तकलीफ दूर करने की कोशिश की जायगी। हम अभी फाइनेन्शियल स्ट्रीजेन्सी में से गुजर रहे हैं। बिल्डिंग्ज बनाने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी के कारण दूसरी खामियें भी पूरी नहीं कर सकते; फिर भी यदि आपका सहयोग रहेगा तो ये सारी दिक्कतें दूर करने की कोशिश की जायगी। बाड़मेर के लिये भी जो जो जरूरियात हैं वे पूरी की जावेंगी।

इसके बाद म जो स्कूलें खोलने के तरीके के बारे में सरकार की Policy पर Motives (आरोप) लगाये गये हैं कि जहां कांग्रेस पक्ष के लोग हों वहीं स्कूलें खोल दी जाती हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष ! आपके जरिये सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में राजनीति का कोई लेश नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखें।

भीनासर में स्कूल खोला गया और वहां के सेठों ने ३-४ साल का खर्चा दिया । सिरोही में कालेज बनाया गया । इसमें कहीं पक्षपात का चिन्ह नजर नहीं आता । Areas और Students की मांगों के अनुसार इस सरकार के बनने के बाद स्कूल खोले गये । इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। कृपा करके राजनैतिक दृष्टिकोण से इन चीजों को नहीं देखा करें; नहीं तो हमारे प्रान्त का बड़ा अहित होगा ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने छोटी मोटी शिकायतें रखी है और सुझाव रखे ह; उनको हल करने की कोशिश की जायगी ।

मैं अब कुछ और ज्यादा कह कर इस House का समय यों ही खराब नहीं करना चाहता । यह जो ४ लाख रुपये मांगे गये हैं वह Birla Institute आदि जो संस्थाएं बंद हो रही है उनको चालू रखने के लिए है । उनको नहीं बचाया जाता तो Students को बड़ा loss होता । इनको चालू रखने के लिए, न कि किसी राजनैतिक भेदभाव को रखते हुए ऐसा किया गया है । हमें Inspectors को लेना पड़ा है फर्नीचर आदि के काम के लिए यह ४ लाख रु० की demand की है। अंत में मैं अर्ज करूंगा कि इसे मंजूर किया जाय ।

श्री शिवदानसिंह:—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेगें कि जहां २ Private स्कूलें खुली हुई हैं उनको सरकर की ओर से चलाने की कोशिश की जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—Private खर्चे से जो स्कूलें चल रही हैं उनको सरकार से चलाने की क्या जरूरत है ।

श्री गोपीलाल यादव:—मैंने जो ५० लाख के गोलमाल का जिक्र किया था उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा:—मुझे वह पहले ध्यान में था; पर भूल गया । जिस तरह उन्होंने Educational Fund और २॥ करोड़ आदि की तजबीज लगाई है वह दिमागी पुलाव है । इस तरह की कोई बात नहीं है । Centre के पैसे को इस सरकार के बजट में रखने की कोई बात नहीं है । इसी वजह से मैंने ऐसी बात का जिक्र नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष:—The question is "That the demand for supplementtary grant........

श्री एच. के. व्यास:—I do not want to press my demand Sir.

श्री अध्यक्ष:—The Question has been put. The question is "That the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 4,00,000/- in respect of Education be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government regarding provision of

adequate staff and equipment for schools and colleges; text books; opening of new schools and colleges wherever urgently needed; and satisfaction of demands of the night class students)".

(अस्वीकृत)

The cut motion is lost.

The question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,000/- be granted to His Highness the **Rajpramukh** to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant. No. XLII—Major Head 37, Education."

(स्वीकृत)

The demand is granted

Demand No. XLIII. -40 - Agriculture.

(विराम)

The motion is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLIII—Major Head 40—Agriculture."

(विराम)

Cut motion to be moved by Mr. Vyas.

श्री एच. के. व्यास:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move "That the Demand for Supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,00,000/- in respect of 40—Agriculture be reduced by Re.1/- (to discuss the inadequate nature of the anti-locust measures.)"

माननीय अध्यक्ष ! भारत सरकार द्वारा जो हर पखवाड़े में बुलेटिन शाया होता है फिर भी माल विभाग की ओर से इस बुलेटिन में छपे हुए आँकड़ों के अनुसार कोई काम नहीं किया जाता ।

दो मुख्य जगहों पर राजस्थान में ब्रीडिंग हुआ और टिड्डी का खतरा हुआ; पोकरण से बाड़मेर की पूरी सरहद तक तथा चूरू जिले और बीकानेर इलाके में डूंगरगढ से रतनगढ के क्षेत्रों में । मुझे इस दरमियानी अर्से में दोनों जगह जाने का मौका मिला है और मैं दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है, मैंने वहां जाकर देखा है, माननीय मंत्रीजी की सूचना के लिये बतला दूं कि जितना बड़ा प्रकोप था, मीलों तक पड़ा था और उसके मुकाबले में जो आयोजन था वह इतना नाकाबिल था कि जहां ६० मील लम्बा फाका पड़ा था वहां सिर्फ २० आदमी लगे हुए थे । यदि वे आदमी चौबीसों घन्टे भी काम करें तो एक महीने से ज्यादा अर्से में भी उस पर काबू नहीं पा सकते; जिस बीच में इसके उड़ने का समय आ जाता है । जिस खतरे से सारी फसल बरबाद हो रही है, मारवाड़ और बीकानेर में गांव के गांव उजाड़ होने की नौबत आ गई है उसको काबू में लाने के लिये जो प्रयत्न सरकार की ओर से किये गये वह नाकाफी थे और जो किये गये उसका पूरा फायदा नहीं हुआ । इसलिए वह हुआ कि इन्तजाम गलत तरीके पर था और इस महकमे

में भी बहुत ही प्रचन्ड रूप से भ्रष्टाचार पनपने लगा । पिछले महीने में मैं खुद मौके पर गया । डूंगरगढ़ में वहां जो टिड्डी मारने का पाउडर का स्टोक आता है वह पूरा ट्रक भरा हुआ सामान आया । उस पाउडर का टिड्डी पर एक्सपेरिमेन्ट किया गया । रात को पाउडर डाला गया और सुबह देखा गया कि एक भी फाका नहीं मरा । दूसरे रोज फिर इसी तरह एक्सपेरिमेन्ट हुआ पर एक भी फाका नहीं मरा । वजह यह थी कि वह पाउडर का पूरा स्टाक सड़ा हुआ था या इतना पुराना था कि उसका फाके पर कोई असर नहीं हुआ। अन्त में वह सारा स्टोक वापिस भेजा गया । ऐसी हालत में जबकि ६० मील तक लम्बा फाका बढ़ रहा था उस वक्त यह इन्तजाम की हालत थी । यदि माननीय मंत्री तारीख जानना चाहें तो बता दूं वे नोट कर लें । यह पिछले महिने की २०-२१ तारीख की बात है ।

दूसरी चीज भ्रष्टाचार की यह देखी कि टिडडी-मार-दल के अधिकारी जो थे वे देहातों में जाते थे. देहातों के लोगों से कहते थे कि तुम दूसरी जगह टिडडी मारन में हमारा साथ दो । यदि वे नहीं देते तो जबरदस्ती उनको ले जाते थे। यह होता था कि चाहे किसी जगह टिड्डियों का आक्रमण भारी हो या नहीं, आया वहां पर उनकी आवश्यकता है या नहीं; मगर जो व्यक्ति उनको दो रुपये या ४ रुपये दे देता था वहां पर जाकर पहले वे खाइयें खोदा करते थे और दूसरे खेतों को छोड़ देते थे और दूसरे किसानों को जबरदस्ती वहां लेजाया जाता था। मेरे पास १०-१२ आदमियों ने इस बात की शिकायत की कि हम हमारा खेत काट रहे थे और शायद हम उन खेतों को दो दिन में काट चुकते; लेकिन हमको जेल जाने की धमकी देकर हमारी फसल को काटने से रोका गया और टिड्डी मारने का काम जबरदस्ती से कराया गया । ऐसी घटनाएं स्पष्ट हमारे सामने आई हैं; जिसमे सम्बन्धित अधिकारियों ने गांव के लोगों से खेत के पीछे दो, चार, पांच रुपये लिये हैं । इस प्रकार टिडडी मारने वालों ने पक्षपात ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी किया है । इन दो बातों की वजह से मैंने यह कट मोशन का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और प्रार्थना करता हूं कि इसको पास किया जाए ।

श्री ईश्वरीसिंह:-अध्यक्ष महोदय ! जो जो बातें कही गई हैं उनके बारे में मैं भी एक दो बातें अपनी झाड़शाही में केणी चाहूं हूं । मैं आ बात केणी चाऊं हूं के दोनों पक्षों वाले अमले के गमले उठावे । परन्तु मारे मन में आ लागी है कि गवर्नमेन्ट कठे तक सांची है । अठे तांई सांची है कि सारों ने कई बर्षों से जो प्रबन्ध राजा चलावता हा..........

श्री अध्यक्ष:-जो बातें आपके सामने कट मोशन के जरिये आ रही हैं और उसके बारे में जो बातें सदन के सामने प्रस्तुत हैं या आ रही हैं आप उन्हीं के बारे में बोलें ।

श्री ईश्वरीसिंह:-मैं आ केणी चावतो हो के एक तो जागीरदारी ने खतम करणे रो प्रस्ताव कियो; वो तो बिल्कुल निराधार है । कई बार

एलान हो गयो के जागीरदारी समाप्त की जा रही है; मगर हाल तांणी जागीरां खतम नहीं हुई । तो झूठ सांच को कहणे रो मारो मकसद है ।

श्री अध्यक्ष:—थां जिण बात ने नहीं समझो तो जरूरी नही है के थे उण पर बोलोईज ।

श्री खेतसिंह:—में श्री एच. के. व्यास के कट मोशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके समर्थन में यह कहूंगा कि वाकई टिड्डी मार महकमे ने जितना पैसा बरबाद किया उसको देखते हुए बहुत कम फायदा लोगों को पहुंचा । इसके मुतल्लिक हमें पूरी जानकारी है। हमने अपनी तहसील का दौरा किया और दौरे के सिलसिले में हमने कई रिपोर्टें की कि टिड्डी मारने का इन्तजाम ठीक नहीं हो रहा है । इतना ही नहीं हमने यहां तक किया कि अपने स्टेटमेन्ट अखबारों में भी दिये और इस बात की कोशिश की कि किसी प्रकार से टिड्डियों का आक्रमण रुके । जिस पर हमारे जोधपुर के अधिकारी ने यह जबाब दिया कि हमने टिड्डियों की रोकथाम का काफी प्रबन्ध कर लिया है । हमने इस सम्बन्ध में तार भी दिये कि कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है । मैं आपके सामने बिल्कुल सही घटना का वर्णन करना चाहता हूं कि हमको अधिकारियों की तरफ से धमकी दी गई कि तुम झूठी बातें कहते हो । कहां तक नुकसान हुआ इसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी हमारे मंत्रीजी को भी होगी । गत ५ वर्षों के बाद शेरगढ़ तहसील में जमाना हुआ; मगर टिडिड्यों के आक्रमण के कारण भयंकर अकाल हो गया और वहां की हालत गत वर्षों से भी खराब हो गई; किसानों को बहुत नुकशान पहुंचा।

अभी पाउडर के मुतल्लिक जैसा बताया गया है वह बिल्कुल सही है । पाउडर इतना खराब भेजा गया था कि लोगों ने मुठ्ठी भर कर एक एक टिड्डी पर डाला मगर टिड्डी नहीं मरी । लोगों ने यह कहा कि यह पाउडर भीगा हुआ था इसलिये किसी काम का नहीं । टिड्डी मारने के लिये पहले लोगों से मजदूरी ली गई मगर उनको पैसे नहीं दिये गये; इसलिये लोग मजदूरी के लिये आये नहीं । मगर लोगों को धमकियें दी गई कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा; अगर तुम मजदूरी नहीं करोगे । गत वर्ष में एक गांव के लोगों ने मुझे बतलाया कि उनको मजदूरी के पैसे अभी तक नहीं मिले; जिन्होंने १५ दिनों तक टिडिडयों को मारने के लिये खाइयें खोदी । इसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों के दिल में अब यह बात अच्छी तरह जम गई कि अगर हम मजदूरी करेंगे तो मुफ्त में मजदूरी ली जावेगी । इसलिये अच्छा हो कि हमारे लिये हम अपने खेतों में ही काम करें ।

इसके अलावा में यह कहूंगा कि इस महकमे के अधिकारी लोकल नहीं हैं और लोकल ऑफिसर नहीं होने से वहां की बातों को नहीं जान सकते । जो अधिकारी थे वे पंजाब की तरफ के थे । वे लोग ज्यादा ध्यान शिकार और अपनी तफरीह की तरफ देते थे । हरिण मारते और उसके लिये खेतों में भी अपनी मोटरें चला कर खेती को बजाय बचाने के बरबाद करते । बस इतना ही कह कर में अपना आसन ग्रहण करूंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष ! टिड्डियों के बारे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में टिड्डियों का आक्रमण जैसा इस वर्ष हुआ पिछले कई वर्षों के अन्दर कभी भी, कई व्यक्तियों की जानकारी के अन्दर, नहीं हुआ । मैं सदस्यों की जानकारी के लिये टिड्डियों को मारने के बारे में जो व्यवस्था है उसको बताना बहुत आवश्यक समझता हूं । इस समय राजस्थान के अन्दर उन हिस्सों में जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं जहां पर खेती होती है उनकी व्यवस्था का भार तो राजस्थान सरकार पर है और उन हिस्सों का, जो डेजर्ट एरियाज कहलाते हैं, उनका भार भारत सरकार पर है । भारत सरकार के तत्वावधान में और उसके सहयोग से राजस्थान सरकार बहुत से कार्य करती है और भारत सरकार की तरफ से जो विभाग काम करता है उसको रेवेन्यू अथवा अन्य विभाग सहयोग देते हैं । मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जिन जिन जगहों के लिये जिम्मेवार हैं वे ये हिस्से हैं:—

जयपुर:—जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर सिवाय बंसूर और बसेड़ा ।

बीकानेर:—केवल श्री गंगानहर का वह हिस्सा जो नहरी है ।

जोधपुर:—पाली, सिरोही, व नागौर में केवल मेड़ता और परबतसर ।

जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में केवल बिलाड़ा ।

उदयपुर और कोटा डिविजन का सारा हिस्सा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो रेगिस्तानी हिस्सा है उसमें करीब ८० हजार वर्ग मील में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था और जो खेती वाला इलाका है उसमें करीब ६ हजार वर्ग मील एरिया में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था । इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर राजस्थान में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था । इसके लिये हम यह नहीं कह सकते कि हमने सर्वत्र टिड्डियों को समाप्त कर दिया ।

कल्टीवेटेड एरिया में १८४ स्वार्म्स जो उन दिनों आये उनमें से १८४ दलों का आक्रमण जो खेती का इलाका है उसके ऊपर हुआ । मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जिन हिस्सों के बारे में अभी यहां पर जिक्र किया गया उन हिस्सों की व्यवस्था राजस्थान सरकार के आधीन नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अभी बीच में इस व्यवस्था के बारे में चर्चा करने का अवसर जोधपुर में, जब कि माननीय देशमुख साहब आये थे, तब मिला, और पिछले वर्ष से भारत सरकार की तरफ से, माननीय अध्यक्ष ! इस कार्य के ऊपर सिर्फ २१ लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं । उनकी जो व्यवस्था थी और जो जानकारी उनको है, उनकी व्यवस्था पर और उन पर न केवल भारतवर्ष ही गर्व कर सकता है बल्कि वे हैं संसार प्रसिद्ध डा० प्रूथी । उनके ज्ञान को अच्छे अच्छे बाहर के व्यक्ति मानते हैं और रूस, पर्शिया, अरेबिया से कई व्यक्ति उनसे जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं । वह जानकार इतने हैं जिनकी वजह से हम यह जान सके कि टिड्डियों का दल किस वक्त

यहां पर आयेगा । इस प्रकार की जानकारी जो है वह अचानक हुई; ऐसी बात नहीं । वह बहुत कुछ सही जानकारी थी, बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण होगा उसकी जानकारी थी, और इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा इस बारे में प्रयत्न किया गया । राजस्थान के कई विभागों से गाड़ियां वगैरह मांगी गई और उन गाड़ियों को डस्ट पम्प्स आदि और भी कई दूसरी चीजों से लैस किया गया और दूसरे भी ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में प्रयत्न किये गये । जो कि खेती का इलाका है उसके अन्दर राजस्थान की तरफ से करीब एक हजार डस्टिंग मशीनें काम कर रही है । दूसरी भी सारी व्यवस्था वहां पर लगाई गई थी ।

बहुत से हिस्सों के अन्दर जहां फसलें हुई थीं उन फसलों को बचाने के अन्दर राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों का मिलाजुला प्रयत्न हो रहा है । उन प्रयत्नों के द्वारा, मैं समझता हूं, जितना बड़ा काम हुआ और जिसकी जानकारी मैंने संक्षेप में आपके समक्ष पेश की उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करेंगे तो शायद हम यह मानेंगे कि राजस्थान सरकार इस बारे में बहुत कुछ करने में कामयाब हुई है ।

रहा सवाल करप्शन का, उन शिकायतों का, जो कुछ इलाकों के अन्दर लोग बागों पर ज्यादती करने की या रुपया-पैसा लेने की सामने आई हैं, मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा हूं कि वे मेरे सामने निश्चित रूप से उन बातों को रखेंगे तो उन पर अवश्य, आवश्यक जानकारी करने के बाद, यदि वे सही पाई गई तो सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए मैं उनको आश्वासन देता हूं । और मैं उम्मीद करता हूं कि भयंकर आक्रमण जो इस वर्ष टिड्डियों का यहां पर हुआ है उसमें प्रयत्न किये गये हैं। यदि उसकी सराहना करना आप उचित न समझें तो आपकी इच्छा, किन्तु उसकी बेकग्राउन्ड का अन्दाजा किये बिना उसके ऊपर एक तरह से अविश्वास करना तो उपयुक्त नहीं होगा । इसलिए मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बातें कहें, किन्तु इस कट मोशन को वापिस लेलें तो अच्छा हो ।

श्री एच० के० व्यास:—I do not want to press the cut motion.

श्री अध्यक्ष:—क्या सदन की सम्मति है कि श्री एच. के. व्यास को अपने कट मोशन को वापिस लेने की आज्ञा-प्रदान की जाय ।

(स्वीकृति प्रदान की गई)

श्री एच. के. व्यास:—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष:—Now the question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLIII Major Head 40—Agriculture."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

Expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State.

54—B – Privy Purses and Allowances of Indian Rulers ..... Rs. 16,000/-.

We have 54—B and 57—N. According to Article 203 (1) of the Constitution, no cut motion can be put on these demands because they are from the estimates and fixed estimates charged to the Consolidated Fund of the State. They would not be submitted to the voting of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

इनमें कोई कटमोशन इसलिए नहीं रखा गया है कि इनके ऊपर वोट नहीं लिया जाता है लेकिन डिसकशन इनके ऊपर प्रिवेन्ट नहीं किया जा सकता ।

(.विराम)

Demand No.XLIV. – 57—Miscellaneous.

The motion is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 80,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLIV – Major Head 57 – Miscellaneous."

(To Shri H. K. Vyas) Do you want to discuss it ?

श्री एच० के० व्यास:—कटमोशन देने का इरादा तो यही था ।

That was the idea in putting in the cut motion, Sir. But before I proceed to discuss this, Sir, I want to make a query from you. Will it be possible for you to give us some more time to continue this discussion ?

श्री अध्यक्ष: No, no. In fact this was the only day for the purpose and there can be no other day to be allotted to this. But if the Hon'ble Member wants, we can sit for 15 minutes more because we started late.

श्री एच. के. व्यास:—In that case I would not like to take this up at this stage. I have other thing to say about the other cut motions.

श्री अध्यक्ष —The question has been put. There is a cut motion on this by you and it runs thus: – "That the Demand for supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 80,000/- in respect of 57 Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the extra attention paid by the Government to Maulasar)." The words appearing afterwards are irrelevant to this demand:—"and

excessive expenditure on telegrams, telephones and railway travel by Ministers and such matters", relate to general administration and not to this motion. These words are there-fore deleted.

श्री एच० के० व्यास:—जो मेरा प्रस्ताव था वह, माननीय अध्यक्ष, आपने प्रस्तुत कर ही दिया है। चूंकि मिसलेनियस प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी एक ऐसे मिसलेनियस विषय पर २ शब्द कहूंगा कि जिसका ताल्लुक आज सवेरे की घटना से है।

जब हम सदन में आ रहे थे तो सदन के द्वार पर हम कुछ मजदूर लेटे हुए मिले। किशनगढ़ मिल के वे मजदूर थे। वे यहां आये थे, सदन के सामने अपनी बात रखने के लिए। इस सवाल पर एड्जोर्नमेन्ट मोशन की अनुमति भी नहीं दी गई। माननीय अध्यक्ष ने फरमाया था कि मौका मिलेगा डिमान्ड्स के डिसकस करते समय इस पर जिक्र करने का। तो इसलिए इस मिसलेनियस हैड के अन्दर में इस प्रश्न पर कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:--Not now. Particularly when you will get an opportunity to discuss this on the Appropriation Bill itself. We shall discuss the whole policy and then we can see...

श्री एच. के. व्यास:--सिर्फ इस वक्त मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जो मैंने प्रस्ताव में रखी है। वह यह है कि इस मांग में मौलासर के सिलसिले में एक जिक्र है। जिक्र तो केवल इतना ही है कि जो पहले एक खाते में जमा कर दिया था गलती से उसको बदल कर दूसरे खाते में पास कर दिया जाय। लेकिन चूंकि इसका संबन्ध मौलासर रयुरल अपलिफ्ट सेन्टर से है इसलिए मैं उस सेन्टर के बारे में सरकारी नीति का जिक्र करना चाहूंगा। उस सेन्टर की खासियत यह है कि वहां के एक बड़े भारी सज्जन व्यक्ति, सेठ सोमानीजी ने इमदाद देकर उस सेन्टर में काम करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में हाल यह हुआ कि इमदाद जितनी उन्होंने दी है उसका कई गुना ज्यादा सरकार खर्च करती है। नाम तो उनका ही चलता है, लेकिन हजारों रुपये हर साल उस सेन्टर के लिए सरकार खर्च करती है। तो मुझे यह नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसी विशेष परिस्थिति है जिससे कि वह सेन्टर उन सज्जन के नाम पर ही चलता रहे। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्या खास कारण है कि यह रयुरल अपलिफ्ट का काम उसी इलाके के सेन्टर में किया जाय कि जहां न केवल मंत्री महोदय जाया करें, दौरे के लिए बल्कि जहां स्पेशल ट्रेन की ट्रेन जाया करे। वहां न केवल स्पेशल ट्रेन जाया करें, लेकिन मैंने सुना है, कहां तक सच है, मैं नहीं कह सकता; लेकिन लौटते समय उस स्पेशल ट्रेन के मुसाफिरों के टिकट के बारे में प्रश्न आया था, रेल के अधिकारियों द्वारा उठाया गया था, बाद में यद्यपि उन सेठ साहब ने दे दिया, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों ने पैसा नहीं दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने यह

प्रश्न रखा गया था तो उन्होंने यह कहा था कि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो राजस्थान सरकार पैसे देगी। तो इतनी हद तक इस सेन्टर के बारे में ध्यान रखा गया सो इसका क्या खास कारण है? मेरे ख्याल से विशेष व्यक्ति के लिए, उसके नाम को इधर से उधर ले जाने के लिए सरकार खर्च करे। उसके बारे में इतना ध्यान क्यों रखे यह गलत चीज है। इसलिए मैंने यहां यह कटमोशन रखा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:-अध्यक्ष महोदय, इस हेड में ओरिजनली २ लाख ४ हजार प्रोवाइड किया था; किन्तु जिस प्रकार खर्च होता रहा है उससे यह प्रकट होता है कि वह रकम कम पड़ेगी। इस हेड में बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिनकी लाइबेलिटी गवर्नमेन्ट के खर्चे पर हैं। इनके बारे में बराबर जोर दिया जाता रहा है। जिस सेन्टर के बारे में विशेष रूप से जोरों के साथ कहा गया उसके लिये राजस्थान बनने से पहले जोधपुर गवर्नमेन्ट के जमाने में कुछ रुपया दिया गया था। एक डोनेशन था, वह डोनेशन के रूप में ही रहना चाहिये था। लेकिन गलती से जनरल रेवेन्यूज में क्रेडिट कर लिया गया था, सरकार को रुपया वापिस देना जरूरी था, वह किया गया। जिस ट्रेन आदि का जिक्र किया उसका खर्चा खुद सेठ साहब ने अपने पास से दिया था। वे खुद ही अपने खर्चे से ट्रेन ले गये थे और अपने खर्चे से ही लाये थे। टिकट आदि की चर्चा करते हुए मेरा भी नाम लिया गया है वह सर्वथा गलत है। यह बहुत पुरानी बात नहीं इसलिये मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सदस्य महोदय को चाहिये था कि वे पहले मुझे पूछ लेते तो वे इस प्रकार के कहने की गलती नहीं करते।

श्री एच. के. व्यास:--One of the most responsible officials of Government has disclosed this information to me I think there cannot be more.........

श्री टीकाराम पालीवाल:-क्या फरमाया आपने?

श्री अध्यक्ष:--He says, one of the most reliable officials of Government has disclosed this to him.

श्री टीकाराम पालीवाल:—(अपना भाषण जारी रखते हुए) किसी ने भी कहा हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसलिये यह सेन्टर खोलने का निर्णय बहुत पहले ही हो चुका था। राजस्थान सरकार बनने से पहले जोधपुर गवर्नमेन्ट के जमाने में उस वक्त जो अन्डरटेकिंग्ज थीं उन्हीं को पूरा किया गया, उन्हीं को कार्यान्वित किया गया। इसमें गवर्नमेन्ट को बहुत ज्यादा वहां के एस्टेब्लिसमेन्ट पर कोई खर्च नहीं करना पड़ा। रेकरिंग एक्स्पेन्सेज में इस सेन्टर पर खर्च किया जाता है; वह ही इस सेन्टर पर खर्च किया जाता है। और जगह भी यदि सेन्टर खोलते तो इसी प्रकार खर्च करना आवश्यक होजाता। इसलिये इस पर जो क्रिटिसिज्म किया गया है वह कोई ठोस आलोचना के रूप में नहीं किया गया है। इसलिए इसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है। मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि वह इस मांग को पास करे।

श्री अध्यक्ष --You want to press this ?

श्री एच. के. व्यास:--Yes.

श्री अध्यक्ष:--The question is "That the demand for supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 80,000/- in respect of 57—Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss the extra attention paid by the Government to Maulasar.)"

(अस्वीकृत)

The motion is defeated.

(विराम)

The question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 80,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLIV—Major Head 57 Miscellaneous.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

Demand No. XLV.—R Loans and Advances by State Government.

The motion is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,50,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of Grant No. XLV, Major Head—R Loans and Advances by the State Government."

श्री एच० के० व्यास:--Mr. Speaker, Sir, I beg to move, "That the Demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 25,50,000/- in respect of R—Loans and Advances by State Government be reduced by Re. 1/- (to discuss the totally discriminatory and partisan policies followed by the Government regarding distribution of Taccavi)."

माननीय अध्यक्ष! मेरा जो ऐतराज है इस मांग के सिलसिले में वह तीन हिस्सों में है; (१) तकावी देने के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है जिसमें कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी रकमें तकावी के रूप में दी गई हैं; सामान्य किसानों को मामूली से मामूली रकम न देने के कारण मुझे ऐतराज है। (२) तकावी लेने और देने की व्यवस्था के बारे में एक दो मिसालें दूंगा जिसमें एक पार्टी विशेष की देखरेख रखी गई; जिसकी वजह से मुझे ऐतराज है। (३) अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में जो इस हद तक, इस नीची हदतक तकावी के कार्य में रिश्वत देने का जो सिलसिला सामने आया है। मैं इन सवालों पर ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। लेकिन वे चीजें सामने रखना चाहता हूं जिनके आधार यह शिकायत सदन के सामने रख रहा हूं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस कार्य के लिए यानि तकावी के लिए जितनी रकम

मन्जूर हुई उसके नतीजे पर एक कोने से दूसरे कोने तक के रहने वाले किसानों को ५०) रुपये, १००) रुपये की प्राप्ति के लिए कितनी मजदूरी करनी पड़ती है, दस-दस बार घूमना पड़ता है, कई कई जगह सैकड़ों की तादाद में अर्जियां आई थीं; लेकिन तकाबी ५ या १० आदमियों को दी गई ।

दूसरी ओर इतनी बड़ी बड़ी रकमें मन्जूर की गई सरकार की ओर से! उन बड़ी रकमों में ५ हजार, १० हजार, १५ हजार, २५ हजार; इस प्रकार की रकमें तकाबी, मशीन की तकाबी के नाम से दी गई, चन्द विशेष आदमियों को दी गई; जिनमें से किसी को रकम की आवश्यकता भी नहीं थी व कितनों ने उसे खेती में इस्तेमाल भी नहीं किया; इसलिये तकाबी देने के लिए सरकार का कदम सही नहीं कहा जा सकता। मैं इस विषय में निश्चित जानकारी सदन के समक्ष पेश कर सकता हूं। मिसाल के रूप में कई फाइलें पूरी की पूरी इस सभा के समक्ष पेश कर सकता हूं।

पाली जिले में एक सज्जन हैं; श्री रामप्रसाद गांधी; जो जिला कांग्रेस के सभापति हैं। खेती वे नहीं करते। उनके बगीचा है फूलों का। उसमें से इत्र निकालने का वे व्यापार करते हैं। उनको १२ हजार ५०० रुपये की तकाबी दी गई।

दूसरे सज्जन हैं बरकतअलीजी। उनके लिये जयपुर से ८ हजार की मन्जूरी दी गई। लेकिन शोरगुल बहुत हो गया। किसानों ने प्रदर्शन भी किया कि इस चीज को रोका जाय। उनको ४ हजार की तकाबी दी गई। सिरियारी के कंवर साहब को, जो मैं समझता हूं शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सरकारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, उनको तकावी मिली है १० हजार रुपये की ?

एक सज्जन हैं जो खेती वगैरह नहीं करते अच्छे बिजनेस मैन हैं; उनको ८ हजार की तकाबी दी गई ।

पाली को जाने दीजिये, दूसरी जगह की मिसालें देता हूं; अलवर में एक हीरालाल नंबरदार है उनको १० हजार रुपये की तकाबी दी गई। गांधी विद्यालय को १७ हजार ५०० की तकाबी दी गई। श्री जयमेरसिंह, जो कांग्रेसी म्युनिसिपल कौन्सिलर है उनको ५ हजार की तकाबी दी गई। मुझे ऐसी सूचना है कि इनके दूर के रिश्तेदारों में खेती है।

और इस प्रकार की हर इलाके से मेरे पास इत्तलाएं मौजूद हैं। मैं आपको भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक दो मिसालें इसी प्रकार की बताऊं। वहां एक मांडल तहसील है और उसमें राजपुरिया के ठाकुर साहब को २३ हजार की तकावी दी गई और राजा साहब को १० हजार की तकावी दी गई। इस प्रकार से तकावियां बांटी गई हैं। मेरी शिकायत और मेरा एतराज यह है कि सरकार तकाबी बांटने की मंजूरी इसलिए देती है और यह सारी दुनिया में इसलिए दी जाती है कि जो किसान अपनी जिन्दगी से, अपनी रोजी से उखड़ गया हो उसे पुनः स्थापित किया जा सके और मदद की तौर पर उसे तकावी दी जाती है। लेकिन उन किसानों को तो तकावी नहीं मिलती, चाहे उन्होंने कितनी ही अर्जियां क्यों न दे दी

हों और जो दस दस साल से क्यों नहीं चक्कर काट रहा हो; किन्तु तकावी मिलती है उन लोगों को जिनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका नाम जरूर रखा गया है कि मशीन-तकावी दी गई है। हमें मेकेनाइज्ड फार्मिंग को बढ़ाना है और इसलिए ये तकावियां दी गई हैं। जहां लाखों किसान बे घरबार हो चुके हों तो वहां तो उन्हें चाहे २००J ४००J रुपया ही मिल जाय जिससे कि वे वापिस अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और रोजी कमा सकें; किन्तु ऐसे सम्पन्न आदमियों को तकावी देना नाजायज नहीं हैं तो और क्या है? वे इससे नाजायज फायदा ही उठाते हैं। जो मेरी दूसरी शिकायत थी वह यही थी तकावी के बारे में।

तीसरी शिकायत जिस पर दो एक शब्द में आपको कहना चाहता हूं और वह है भ्रष्टाचार से ताल्लुक रखने वाली। हमने जगह-जगह से यह शिकायतें सुनी हैं कि जब तक १०० रुपया लेने के लिए १० रुपया अहलकार या अफसर को न दिये जायं उनको वह तकावी की रकम मिल ही नहीं सकती। यह शिकायत एक जगह से नहीं कोने-कोने से है। हमने सोचा कि क्या किया जाय, तहसीलदार के लिए शिकायत है तो एस.डी.ओ.को कहा गया। उसने हमें आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी। हमने सोचा कि कार्यवाही होगी किन्तु आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मैं जानबूझ कर यह मंत्रीजी के पास रखना चाहता हूं, टेस्ट रुप में यह रखना चाहता हूं। अलवर जिले का यह केस है। डेढ़ दो साल होगये हैं। तकावी के लिए नियमों के माफिक कार्यवाही की अर्जी दी, रिकमन्डेशन्स करवाई, किन्तु तकावी का पैसा देने से इन्कार किया जाता है। उनके नाम मेरे पास हैं। जब तक दस परसेन्ट रिश्वत नहीं दी जाती है तब तक तकावी मिलती ही नहीं। कल शाम तक की रिपोर्ट जो मैंने प्राप्त की है उसके आधार पर कह सकता हूं कि अब तक भी उन्हें तकावी नहीं मिली है। मैं आपको इसी सम्बन्ध में दूसरी बात बताता हूं। नागौर जिले की एक तहसील में सम्बन्धित अधिकारियों के सामने यह कहा था कि दस्तखत करके नोटों को दीजिये और आपके सामने वे ही नोट बरामद कराये जाते हैं। एक नहीं सैकड़ों वापिस जाते हुए किसानों ने कहा कि अगर पैसा दे दें तो तकावी मिल सकती है, अन्यथा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप हमें नोट दस्तखत कराके दीजिए हम उनको देते हैं और आप फिर बरामद कराइए। उसके बारे में कोई इन्तजाम नहीं किया गया। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि लाखों रुपया तकावी के रूप में जो बे-घरबार किसानों को उनकी रोजी के लिए मिलना चाहिए था उसका दस फीसदी भ्रष्टाचारी व्यक्तियों की जेबों में चला जाता है।

सदन में यह कहा जाता है कि झूठे एतराज लाये जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं और जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह सरदारशहर तहसील की है। माननीय मंत्री महोदय वहां गये, अपने दौरे के सम्बन्ध में। तकावी के लिए पहले ही ३५० अर्जियां आ चुकी थीं। उन पर कोई विचार नहीं किया गया और तहसीलदार के दफ्तर में एक स्थानीय कार्यकर्त्ता बैठ गये और उन्होंने अपनी जानकारी के लोगों की एक नयी लिस्ट बनाई। वहीं मंत्रीजी ने उस नयी लिस्ट के अनुसार मंजूरी दी और रकम का वितरण भी हुआ। उनमें से वहां पर दो गांव वाले रकम लेने नहीं आये थे। वे दो गांव वाले रकम लौटा गये क्योंकि वह

अर्जी के अनुसार नहीं थी। दफ्तर में पार्टी के सलाहकार की ओर से यह सब कुछ किया गया। अगर यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है ? लोगों की अर्जियों को छोड़कर, तरीके को छोड़कर, कानून कायदे को छोड़ कर, महज इस वजह से कि एक पार्टी के कार्य-कर्त्ता सलाह देते हैं, मानने लगें तो यह एक बहुत गलत तरीका होगा । मैं इस मांग के बारे में कट मोशन पेश करता हूं और इतना कह कर बैठ जाता हूं।

श्री चन्दनमलः-मैं यह जानना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में जिनको तकावी के रूप में बड़ी रकम दी गई है उनके क्या नाम हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यासः-मैं नाम पहले ही बता चुका हूं।

श्री चन्दनमलः-आपने राजा साहब का नाम नहीं बताया ।

श्री हरिकृष्ण व्यासः-अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं फिर से बतला सकता हूं ।

श्री अध्यक्षः-No, next.

श्री चन्दनमलः-माननीय अध्यक्षजी ! माननीय सदस्य ने अभी तकावी वितरण के सिलसिले में हुई गड़बड़ियों का जिक्र किया। मेरे माननीय मित्र ने कुछ जगहों के नाम भी पेश किये ह । माननीय सदस्य का यह कहना है कि सरकारी बेन्चों की ओर से यह कहा जाता है, कि जो भी सुझाव अथवा बा विरोधी पक्ष की ओर से पेश की जाती हैं, वे झूठी हैं । मैं माननीय सदस्य के सामने यह कहना चाहता हूं कि मामूली सी जानकारी के आधार पर ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो झूठी ही नहीं बल्कि बेबुनियाद भी हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यासः--Is the word "झूठी" a parliamentary expression.

श्री चन्दनमलः-यहां "झूठा" शब्द माननीय सदस्य ने भी प्रयोग किया था और इस वास्ते उसका प्रयोग मुझे भी करना पड़ा है ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय माननीय मंत्री महोदय सरदार-शहर आये थे तो मैं भी उनके साथ वहां मौजूद था। मुझे याद है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को तकावी नहीं दी गई और किन्हीं व्यक्तियों की तकावी की दरख्वास्तें नामन्जूर नहीं की गई । मैं माननीय सदस्य को चेलेंज करता हूं कि वे इस बात को साबित करे कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा किन किन व्यक्तियों को तकाबी दी गई और किन किन को नहीं ।

सरदार शहर में तकावी के वितरण में कांग्रेस ने भाग लिया, जरूर लिया और किस हद तक लिया यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब सरकार की ओर से यह एलान हुआ कि आम किसानों को, उनके हल के लिए, बीज के लिए तथा चारे के लिए तकावी दी जायगी तो लोग गांव छोड़ कर हजारों की तादाद में वहां आ गये। तहसील के कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो गई कि किन को तकावी दें और किन को नहीं। तहसील के ८–१० आदमियों के छोटे अमले से कैसे रोजाना सैकड़ों हजारों आदमियों को निपटायें। और जो किसान बाहर से आये थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे २–३ दिन तक वहां इन्तजारी करते और अपनी रोटी का इन्तजाम करते। इसलिये उनकी दरख्वास्तें लिखने के लिये व उनकी जमानतों कि अर्जियों के लिये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की थी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो अध्यक्ष महोदय! अर्जियें लिखने वाले हर अर्जी के पीछे उन से आठ आठ आने ले लेते और यही नहीं कागज के लिये भी उन्हें बाजार में चार छः पैसे और देने पड़ते और जो तकावी उनको मिलने वाली थी उसमें से उनका व्यर्थ में ही खर्चा हो जाता; इसलिये कांग्रेस वालों ने उनकी सहायता की। इस पर यह कहना कि तकावी पक्षपात के साथ बांटी गई और एक पार्टी वालों ने जिनके लिये कहा उनको दी गई, यह बिल्कुल गलत बात है। यदि किसी पार्टी ने किसानों के साथ सहानुभूति दिखलाई और त्याग किया तो यह कैसे कहा जा सकता है कि पक्षपात किया गया। मैं कहूंगा कि ऐसा कहना सदन के सदस्यों के साथ अन्याय होगा ....

श्री मानसिंह:–(जमुआ रामगढ) क्या पेन्ट की जेब में हाथ डाल कर बोलना पार्लियामेन्ट्री है?

श्री अध्यक्ष:– ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री चन्दनमल:–पेन्ट पहनते हैं तो जेब में हाथ डाल सकते हैं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्यों ने उनके साथ सहयोग दिया और सुबह ७ बजे से रात्रि के ७ बजे तक उनके साथ रह कर उनकी सहायता की; इसमें कोई शक नहीं है। तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के पास जाकर उनकी सहायता की। मैं नहीं कह सकता कि आप सरदार शहर में २४ घंटे रह कर यह दावा कैसे करते हैं कि सरदार-शहर की सारी समस्याओं की जानकारी आपको हो गई है और आप इस बात में एक्सपर्ट हो गये हैं। मैं यही अर्ज करूंगा कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकालने की कोशिश कीजिए।

श्री एच. के. व्यास:—On a point of personal explanation, Sir. A challenge has been given to me and I want to submit, through you, Sir, that if the Hon'ble Member is prepared for an impartial inquiry I accept the challenge since I have stated facts. 300 applications which were received were not considered and other decisions were taken. Out of the three persons, two, who were

granted Taccavi, have returned half of it and one has not taken at all. If the Hon'ble Member is prepared for an impartial inquiry I accept the challenge.

श्री कानसिंह:–अध्यक्ष महोदय ! तकावी का सवाल जो इस वक्त हमारे सामने जेर बहस है और इसके बारे में सरदार शहर से आये हुए सदस्य महोदय ने कहा कि जन सेवा की दृष्टि से कांग्रेसमेन ने किसानों का साथ दिया था उसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम भी जन–सेवा की दृष्टि से तकावी के समय तकाबी मांगने वाले किसानों के साथ नहीं रहे और उनके साथ तहसील में नहीं गये, तो भी हमने जन–सेवा की । क्योंकि हम जानते थे कि जिस किसी के साथ तकावी दिलाने के लिए अगर गये और उसकी जमानत दी तो अफसरान या तहसीलदार हमारी शक्ल देख कर उनको तकावी नहीं देंगे और कह देंगे कि इस समय तकावी के रुपये काफी नहीं हैं । इसलिये आने वालों से हम कहते कि तुम हमको साथ मत ले जाओ और अगर लेजाओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा । हमारे बजाय अगर धोली टोपी वालों को साथ ले जाओगे तो उनकी शक्ल देख कर तुम्हें तकावी देदी जायगी । मैं यह कहूंगा कि तकावी के समय गांव वालों को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे; जो अकथनीय हैं । यदि व्यासजी के कहने के अनुसार आप तहकीकात करेंगे तो हम यह साबित करादेंगे कि किसान लोग एक–एक या दो दो दिन तक ही नहीं बल्कि दस–दस दिन तक भूखे और प्यासे तकाबी पाने की आशा में पड़े रहे; पर फिर भी कइयों को तकाबी नहीं मिली । कई लोगों के पास तो खाने के लिये भूगड़े भी नहीं थे । तहसील हैड क्वार्टर पर वे लोग भूखे पड़े रहे । इसलिये मैं कहूंगा कि इसकी तहकीकात मंत्री महोदय करावें । यदि वे चाहें तो हमारे साथ चलें; हम इस बात को साबित करावेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री):–अध्यक्ष महोदय ? मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन जो कुछ बहस यहां इस बारे में हुई उसके दौरान में कुछ चेलेन्ज हुए; इसलिये मुझे बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा । मैं नम्रतापूर्वक हाउस से अर्ज करना चाहता हूं कि सरदारशहर जब मैं गया तब वहां रिलीफ वर्क्स के बारे में तो चर्चाएं सामने आईं; लेकिन किसको तकावी दी जाय और किसको नहीं दी जाय और कौनसी ३०० दरख्वास्तें नामंजूर करदी गई; यह समझ में नहीं आया ।

श्री कानसिंह:–(On point of information, sir) मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप सरदार शहर की ओर दौरे पर गये थे उस समय तकाबी वितरण का टाइम आगया था या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया.–यदि तकाबी वितरण का समय नहीं आया था तो मेरी बात और भी पक्की हो जाती है । उस तकाबी वितरण का कोई प्रश्न ही नहीं आया था इसलिए किसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई ? उसके साथ मुझे नहीं जोड़ते तो उनकी कृपा होती । यदि सदस्य महोदय दुबारा जांच करेंगें तो

तो उनको इस प्रकार के चार्जेज लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । मैंने इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं की । आपने तकावी की जो ५ हजार या १० हजार की रकम बताई और जो नाम बताये उन नामों की और भी यदि आप देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि इसमें पक्षपात का सवाल ही कहां पैदा होता है । उन नामों में राजासाहब, जागीरदारसाहब और दुर्भाग्य से किसी कांग्रेसी भाई का भी नाम है और वे सब नाम बड़े आदमियों के आपने बताये । आप खुद सोच सकते हैं कि आपके बताये नामों में पार्टीबाजी का कहां सवाल आता है, जिस तकावी का आपने जिक्र किया है वह है मेकेनाइज्ड तरीकों से खेती करने वालों के लिये भारत सरकार द्वारा किन्हीं निश्चित उसूलों पर किसी निश्चित मद में खर्च की जानेवाली रकम । इस रकम को नियमों के अनुसार खर्च करना होता है और नीचे से जैसी रिपोर्ट आती है उसी के अनुसार काम करना होता है । पहले तहसीलदार रिकमन्ड करते हैं फिर एग्रीकल्चर ओफिसर उसे देखता है, फिर कलेक्टर के पास केस जाता है और फिर डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाता है और पांच हजार से अधिक की मंजूरी होती है तो फिर मंत्री के पास सेक्रेट्रियेट में आता है । इन प्रिन्सिपल्स पर चलने को भी राजनीति बताना, मैं समझता हूं, एक गलत चीज है । यह संभव हो सकता है कि जिनको यह सहायता दी जाती है उनमें से कोई उसका हकदार न भी हो लेकिन ऐसे केसेज में तथ्यों के सामने आने पर जांच की जा सकती है । जहां तक तकावी का प्रश्न है या और भी कोई प्रश्न है उसके लिये जांच का दरवाजा खुला है । कल ही मेरे पास अन्य व्यक्ति आये थे जो सेवा करना चाहते थे । उन्होंने यह बताया कि हम सेवा करना चाहते हैं । हमने उनको हर तरह से सहायता देने को कहा । जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं उन्हें सहायता देने के लिये हम सदा तैयार हैं । जिस तरह के तथ्य यहां सदन के सामने रखे जाते हैं मैं नहीं कह सकता, वे कहां तक ठीक हैं । यदि उन्हें यहां लाने से पहले ही उन पर पूरी जानकारी प्राप्त करके सरकार के सामने रखे जावें तो मैं यह कहने की धृष्टता करता हूं कि कसूर साबित होने पर कसूर करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा नियमों के अनुसार दिलाने को मैं तैयार हूं । लेकिन तथ्य निश्चित तौर पर सच्चे होने चाहिये । आप जानते हैं कि सच्चे तथ्यों के रहते हुए हर तरह से सजा दिलाई जा सकती है; तो फिर उसी तरह से क्यों नहीं आगे बढ़ा जाता । माननीय कानसिंहजी ने कहा है कि दस दस रोज तक लोग तकावी के लिए पड़े रहे । अच्छा हो, अभी नहीं तो बाद में भी वे बतला सकें कि कहां कहां पर और किन किन लोगों को दस-दस रोज तक रहना पड़ा और सुनवाई नहीं हुई । यह बात भी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद कहते तो जिस तरह उन्होंने चेलेन्ज दिया है कि वे साबित कराने को तैयार हैं तो मैं भी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाता ।

श्री अध्यक्ष:-I think you will not withdraw it.

श्री एच. के. व्यास:--No, Sir.

श्री अध्यक्ष:-The question is "that the demand for supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 25,50,000/- in respect of-

R—Loans and Advances by State Government be reduced by Re. 1/- (to discuss the totally discriminatory and partisan policies followed by the Government regarding distribution of Taccavi."

(अस्वीकृत)

The cut motion is defeated.

(विराम)

The question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,50,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953 in respect of Grant No. XLV, Major Head--R—Loans and Advances by State Govt."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५२

Shri Nathu Ram Mirdha:—Sir, I beg to seek leave for the introduction of the Rajasthan Appropriation (No. 5) Bill, 1952, to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953.

श्री अध्यक्ष:–मोशन मूवड ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष:–प्रश्न यह है कि दिनांक ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राज्य की संचित निधि में से निष्कृति, को प्राधिकृत करने वाला तथा उसमें से कुछ रकमों का विनियोग करने वाला विधेयक, पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

श्री भैरूंसिंह खेजड़ला:–अध्यक्ष महोदय ! जो एडजोर्नमेन्ट मोशन रखे गये उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष:–एडजोर्न मोशन जो आए एक ही सब्जेक्ट पर तीन आये। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आवर के पश्चात् और हाउस का बिजनेस लेने से पहले घोषित किया था कि एक श्री हरदेव जोशी ने रखा और दूसरा श्री एच. के. व्यास ने रखा था; जो फोर्म की गलती की वजह से रिजेक्ट हो गए। तीसरा श्री भैरूंसिंह, चीफ व्हिप, संयुक्त दल ने रखा है जिसके ऊपर कंसीड्रेशन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि १० बजे के बाद जब हाउस का काम चल रहा था उस समय दिया गया। फिर भी इस पर बहस करने का ही मन्तव्य है तो एप्रोप्रिएशन पर डिसकशन के वक्त कल बहस की जा सकती हैं।

सदन कल ता० २८-१०-५२ के ८-३० बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(सभा की कार्यवाही १२–४० मध्यान्ह पर समाप्त हुई और सदन की बैठक दिनांक २८ अक्टूबर, १९५२ के ८–३० प्रातः तक के लिये स्थगित की गई)

सभा भवन
जयपुर
दिनांक २७ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

परिशिष्ट संख्या १

(वे प्रश्न जो प्रश्नकर्ताओं अथवा उत्तरदाताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन में पूछे नहीं गए फलत: उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए) ।

प्रश्न संख्या १३८

Shri Abani Kumar M. L. A. Div. No. 1. Will the Labour Minister be pleased to State:—

(i) What are the terms of the agreement arrived at between the employers and employees of the Maharaja Kishangarh Mills ?

उत्तर

The Mill Management and the Labour Union have approached the Government with an agreement, the terms of which are being examined legally. It is not possible at this stage to say the exact terms of the agreement.

प्रश्न संख्या १३९

श्री बीतरलाल:—क्या माननीय जुडीशियल मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

यह कि फौजदारी केसेज कोट बूंदी से पाटन एक्सट्रा मजिस्ट्रेट के पास ट्रान्सफर करते समय यह क्यों नहीं सोचा जाता कि जनता को कौनसा केस किस जगह रखने में अधिक सुविधा और कम खर्च होगा ?

उत्तर

कलेक्टर बूंदी से इस विषय में दर्याफ्त किया गया तो मालूम हुआ है कि सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास दौरे में रहने के कारण मुकद्दमे ज्यादा बढ गये थे; इसलिए उन्होंने पुराने मुकद्दमे तो अपने पास रखे और नये दायर हुए मुकद्दमों को एक्सट्रा मजिस्ट्रेट पाटन के पास भेज दिये थे। इससे दोनों मजिस्ट्रेटों के पास काम भी बराबर हो गया और पुराने मुकद्दमों के जल्द फैसले होने का भी सुभीता हो गया।

प्रश्न संख्या १४०

श्री बीतरलाल:—क्या माननीय राजस्व विभाग मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:—

(अ) सरकार ने राजस्व वसूली के सम्बन्ध में सस्पेन्शन या रेमिशन के विषय में कोटा डिविजन के लिये घोषणा कर दी थी ?

(ब) यदि "हां" तो बूंदी जिले में जिन कृषकों के कतई पैदावार नहीं हुई अथवा बीज ही नहीं डाला गया उनसे लगान कठोरता करके क्यों वसूल किया गया ?

उत्तर

(अ) जिन क्षेत्रों में नियमानुसार (Relief) की आवश्यकता प्रतीत हुई वहां के लिये उतनी ही मात्रा में मालगुजारी की वसूली मुलतवी की गई ।

(ब) जिन किसानों की फसल पूरी खराब हुई या बीजमार हो गया उनसे लगान वसूल नहीं किया गया है ।

नोट:—लगान की छूट व थाम नियमानुसार होती है ।

प्रश्न संख्या १४१

श्री भैरूसिंह:—क्या मंत्री महोदय कृषि एवं रेवेन्यू विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) सरकार जानती है कि खालसा के गांवों की जमीन बापी हो जाने से गोचर भूमि की बहुत कमी है जैसे लुनाता, सेवाड़ी, लाठाड़ा (तहसील बाली) की. जहां के जंगलात नजदीक हैं कुछ जमीन गोचरा के लिये मुफ्त छोड़ देने का क्या सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(अ) कुछ गांवों में कमी हो सकती है और कुछ में नहीं । जंगलात में मवेशी चरने का प्रश्न नहीं उठता । घास बीड़ों में यह सवाल पैदा होता है जो हर बीड़ के लिए वहां की स्थानीय परिस्थिति को देख कर ही तय किया जा सकता है । लुणाता इत्यादि गांवों की बाबत हालात मालूम होने पर सदन में रख दिये जावेंगे ।

प्रश्न संख्या १४२

श्री भैरूसिंह:—क्या मंत्री महोदय रेवेन्यू एवं कृषि विभाग बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) सरकार के पास कूओं के भीतर पत्थर तुड़वाने की मशीन है ?

(ब) यदि उत्तर "हां" में है तो किसानों के लिये किसी किराये पर दी जाती है ?

(स) हर गांव में कितने दिन रख सकते हैं ?

(ड) कम से कम कितना काम होना चाहिये ?

उत्तर

(1) There are six compressor units for deepening of wells by rock blasting.

(2) The machines are not given to the cultivators on hire but the staff of the Agriculture Department operates these machines and the charges for deepening of wells by rock blasting are Rs. 30/- per foot.

(3) The detailing of these machines in a village depends upon the work to be done in a village.

(4) There must be at least 15 to 20 wells to be deepened in that village where that machine could be sent.

प्रश्न संख्या १४३

श्री भैरूसिंह:–क्या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) सरकार इस वर्ष नये शफाखाने बनवाने का विचार रखती है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो बाली, देसूरी तहसील में कहां २ नये शफाखाने बनवाये जायेंगे ?

(स) रानी स्टेशन (देसूरी तहसील) में शफाखाना बनाने का कार्य कब तक पूरा किया जायगा ?

उत्तर

(a) The opening of new hospitals at places having a population of 5000 and over is held up due to financial stringency.

(b) Does not arise.

(c) Funds are being placed at the disposal of the Public Works Department to take up the construction of the new building.

प्रश्न संख्या १४४

श्री भैरूसिंह:–क्या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) आयुर्वेदिक एड पोस्ट कितनी आबादी पर खोले जा सकते हैं ?

(ब) सरकार के पास उपयुक्त आबादी के गांवों की सूची है जहां एड पोस्ट खोले जा सकते हैं?

(स) खीमेल (बाली तहसील) की आबादी सरकारी आंकड़ों के अनुसार उचित है और वहां की जनता को एड पोस्ट की सुविधा देने का क्या सरकार कष्ट करेगी ?

उत्तर

(1) No principle has yet been decided in this respect.

(2) No such list has yet been prepared.

(3) The question of opening of new Aid-Posts has been deferred for the present due to financial stringency.

प्रश्न संख्या १४५

श्री भैरूसिंह:-क्या वाणिज्य व्यवसाय विभाग के मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) सरकार राजस्थान में कॉटेज इण्डस्ट्रीज (कुटीर व्यवसाय) को बढ़ावा देने को प्रयत्नशील है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो किस प्रकार से और किस रूप में ?

(स) बाली तहसील में मोचियों (भांमियों) को रेजा सूत बुनने को सूत का कोटा पूरा पूरा दिया जाता है ?

(ड) भविष्य में रेजा बुनने वालों को विशेष सुविधा दी जाने की आशा रख सकते हैं ?

उत्तर

(a) Yes.

(b) The following steps are being taken by the Government for the development of Cottage Industries:—

(a) Grant of concession in customs duty on the import of raw materials.

(i) Certain factories are allowed to import woollen yarn duty free.

(ii) Ruby and diamond cutting industries are allowed to import raw materials free of duty.

(iii) Handloom factories are allowed to take yarn direct from Mills so that they may not require to pay any commission to the middlemen.

(iv) Export facilities are given to the brass and ivory industry workers.

(v) The products of cottage industries are placed in Government Sales Emporium for popularisation and publicity. The Cottage Industry products are also sent to the fairs and exhibitions for sale.

(vi) The Technical eduation is given free of charge to the Cottage Industries Workers at the Government Institution at Arts School and Cottage Industries Institute, Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Churu and Rajgarh. Stipends are also given to the student of Cottage Industries class.

(vii) There are four demonstration parties who teach crafts with better tool to the artisans in different centres.

(c & d) The question under these heads pertain to Civil Supplies Department who had been distributing yarn all over India and so also in this State. From the next month this work will be taken up by the Director of Industries and Commerce and Supply of yarn to them will be made as per quota available to the Department.

प्रश्न संख्या १४६

श्री अमरसिंह:—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहपुरा में नल लगाने के लिये गत वर्ष पेंतालीस हजार रुपयों की स्वीकृति हुई थी; परन्तु कार्यालय वालों ने इसका कुछ प्रयत्न नहीं किया ? क्या इस वर्ष यह कार्य समाप्त हो जावेगा ?

उत्तर

The work was not sanctioned last year but administrative sanction was accorded year before last i. e. during 1950-51. The work could not be carried out that year. Due to financial stringency, no provision could be made in 1951-52 Budget nor could it be provided for in 1952-53 Budget.

Page No.62

प्रश्न संख्या १४७

श्री अमरसिंह:—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरड़ा से गुलाबपुरा तक सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई है परन्तु कंकरों की कुटाई नहीं हुई है जिससे सड़क पर आने जाने वालों को बड़ा कष्ट होता है क्या इस वर्ष इस छोटे टुकड़े पर कंकर बिछाकर रोलर फेर दिया जावेगा।

उत्तर

The construction of Harda to Gulabpura road has so far been taken up as a Fair Weather Road. The road can be metalled only when funds are available for this purpose.

प्रश्न संख्या १४८

श्री अमरसिंह:—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा से शाहपुरा जाने वाली सड़क के बीच में कुछ टुकड़ा और एक (बाहले) नाले की पुल टूटी हुई है जिसका काम गत वर्ष कितने ही महीनों तक होता रहा परन्तु अभी तक सम्पूर्ण न हुआ, क्या इस वर्ष यह थोड़ा सा काम सम्पूर्ण हो जावेगा।

उत्तर

Every attempt will be made to complete the work this year.

प्रश्न संख्या १४९

श्री अमरसिंह:—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सौ वर्ष पहले मेवाड़ में सड़कें बनी; उनकी पुलें ऐसी अच्छी रक्खी गईं कि वे अभी तक ठीक हैं। अभी कुछ सड़कें बनीं जिनकी पुलें इतनी छोटी रखी गईं कि दूसरी बर्षा में ही टूट गईं। क्या सरकार इस विषय में जांच कर उचित प्रबन्ध करेगी?

उत्तर

जो सड़कें व पुलियां बनीं वे ठीक तौर पर बनाई गईं हैं। अगर ज्यादा वर्षा से कोई टूट गई है तो उनको ठीक करा दिया गया है और करा दिया जावेगा। अगर माननीय सदस्य को किसी खास पुलिया की सूचना हो तो अवश्य जांच कराई जा सकती है।

प्रश्न संख्या १५०

श्री अमरसिंह:—क्या माननीय वाणिज्य व व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा मील में कुछ पुरुष मजदूरों के नेता बने हुये हैं, मजदूरों

से चंदा भी लेते हैं और मजदूरों को आपस में लड़ाते हैं, धरणा देते हैं, जिससे मील बन्द रहती है। कितने काम ऐसे करते हैं कि जो शासन को अपने हाथ में लेने के बराबर है। ऐसी अनुचित कार्यवाही रोकने का प्रबन्ध होना पाया नहीं जाता। क्या सरकार इस विषय में उचित प्रबन्ध करेगी।

उत्तर

इस समय इंडियन ट्रेड यूनियनस एक्ट, १९२६ के अंतर्गत रजिस्टर्ड दो श्रमिक संगठन अर्थात् (१) मिल मजदूर संघ और (२) मजदूर संघ मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लि. भीलवाड़ा, के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

पिछले कुछ समय से, मिल के अहाते के अन्दर चन्दा एकत्र करने का प्रश्न मिल मजदूर संघ के सदस्यों के असंतोष का कारण रहा है क्योंकि मिल के प्रबन्धकों ने केवल मजदूर संघ, भीलवाड़ा के सदस्यों को ही मिल के अहाते के अन्दर चन्दा एकत्र करने का विशेषाधिकार दे रखा है। मिल मजदूर संघ के प्रति प्रबन्धकों की प्रवृति असहयोगात्मक रही है क्योंकि वे उनको मिल के श्रमिकों के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। मिल मजदूर संघ और मिल के प्रबन्धकों के मध्य कुछ औद्योगिक झगड़े विचाराधीन पड़े हैं, जो सन् १९५१ से चल रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप, मिल मजदूर संघ ने अभी हाल ही में, अपनी लंबे समय से विचाराधीन मांगो के प्रतिकार के लिये, एक सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह २६ दिन तक चला और २-१०-५२ को समाप्त हुआ।

सरकार ने हाल ही में, भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को, भीलवाड़ा जिले के विचाराधीन झगड़ों के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया है। सरकार स्थिति से पूर्ण रूप से भिज्ञ है तथा संघर्ष एवं अव्यवस्था को बचाने के लिये पर्याप्त उपाय कर रही है।

प्रश्न संख्या १५१

श्री अमरसिंह:—क्या स्वास्थय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले की डिस्पेन्सरियों में आवश्यकता के उपरान्त स्टाफ तो बढ़ा हुआ है किन्तु औषधि की सभी जगह से कमी रहने की शिकायत आती है। क्या सरकार इसका उचित प्रबन्ध करेगी।

उत्तर

1. There is no surplus staff in the District Dispensaries.

2. The medicines are supplied to District Dispensaries regularly as per budget allotments and according to funds available for the purpose. There are no specific complaints regarding non-supply of essential drugs.

प्रश्न संख्या १५२

श्री मोतीचन्द खजांची:—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बीकानेर पॉवर हाउस, बीकानेर राज्य के विलिनीकरण के तत्पश्चात नियुक्त दैनिक वेतनभोगी क्लर्कों को हटाया जाने का आदेश क्या इस कारण दिया गया कि वहां उनकी आवश्यकता नहीं थी ? यदि पहिले थी तो अब उसमें क्यों कमी हुई ? यदि हुई तो क्यों ?

उत्तर

Till now there used to be a lot of Capital Works on which a large number of people were employed. This year there is practically none. The Workshop in Bikaner was doing a lot of work for other Departments, which work has also gone down in quantity due to general financial stringency. The Bikaner Power Station suffered a financial loss last year. Every possible saving here has, therefore, become a necessity. The clerks reduced were on daily wages only and were people with less than 2 to 3 year's service. These people, some of them at least, were employed pending final decision of the Integration Department and as such could not expect to be kept on indefinitely. The Power Houses are concerns of Commercial nature and cannot afford to keep surplus staff. If and when there is work, staff required can be engaged. No staff can be kept without work.

प्रश्न संख्या १५३

श्री मोतीचन्द खजांची:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बीकानेर की मगरा तहसील में भंवरसिंह जगमालसिंह आदि डाकुओं द्वारा जो लूट, डाके, व्यक्तिहरण अराजकतामय आतंक कार्य किए गए, तथा किये जा रहे हैं उनकी रोकथाम के हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है एवं की जा रही है। तथा उसमें कहां तक सफलता मिली है और क्या वहां की जनता भयग्रस्त नहीं है ?

उत्तर

डाकेजनी को रोकने के लिए अनेक स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां लगा दी गई हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में उनका पीछा किया गया है; किन्तु उनकी गिरफ्तारी में विलम्ब उनके जैसलमेर पाकिस्तान सीमावर्ती रेगिस्तान में शरण लेने के कारण हो रहा है। इनका नेता पाबूदानसिंह अन्य पांच साथियों के सहित गोली का शिकार हो चुका है। भाग्य ने साथ दिया तो भंवरसिंह और जगमालसिंह भी हाथ आ जावेंगे। मुस्तैदी के साथ उनका पीछा किया जा रहा है। इससे अधिक सूचना इस सम्बन्ध में देना जनहित के अनुकुल नहीं होगा।

परिशिष्ट संख्या २

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या २८

श्री तेजपाल:–क्या बैकवर्ड क्लासेज मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:–

हरिजनों की जगहों के लिये, जो कि उनके लिये सुरक्षित रखी गई है, हरिजनों को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता ? क्या उनकी पूर्ति साढ़े बारह प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है ? जो लोग राज्य सेवा में हैं उन्हें तरक्की क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

No specific reservation has been made for Harijans. Reservation has been made to the extent of 12½% in State Services and posts for members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Harijans, who are also included in the list of Scheduled Castes are also being appointed wherever they satisfy the conditions laid down in regard to recruitment and promotion on a particular post.

The information whether 12½% of posts have been filled by members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being obtained from the various Government Departments.

There is no restriction in the promotion of the members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to higher posts.